रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/94 REGISTERED NO. DL-33001/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 5, 1994 (माघ 16, 1915)
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5, 1994 (MAGHA 16, 1915)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 2 जनवरी 1994

एस. बी. डी. क्र. 1/1994—इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के अनुच्छेद (ध) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक प्रो. जी. एस. आर्शी के स्थान पर श्री करम सिंह, 42-जी, भाई रनधीर सिंह नगर, लुधियाना-141 001 को स्टेट बैंक आफ पटियाला के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 10 जनवरी 1994 से 9 जनवरी 1997 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है ।

दीपंकर बसु
अध्यक्ष

द इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

कलकत्ता-700 016, दिनांक 23 नवम्बर 1993

सं. 16-सी डब्ल्यू आर (1154)/93—द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेग्युलेशन, 1959 का अनुसरण करते हुए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि ए कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उपधारा 1 (क) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए द इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया का काउन्सिल ने निम्नलिखित सदस्यों के नाम अपने सदस्यता के रजिस्टर से हटा दिया है :—

1 श्री वी. एस. अगाशे, बी. ए., बी. काम, ए. आई. सी. डब्ल्यू. ए. डी/3, श्री साधना सोसायटी, तेजपाल स्कीम, मेन रोड, विले पार्ले (पूर्व), बम्बई-400 057, सदस्य सं. 2822 दिनांक 23 नवम्बर, 1993 से प्रभावी उनके स्वत. के अनुरोध पर ।

2. सी डब्ल्यू आर (139/93 द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेग्युलेशन, 1959 के रेग्युलेशन 2 के उप-रेग्युलेशन 3 का अनुसरण करते हुए पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने की एतद्द्वारा अधिसूचना दी जाती है कि श्री श्री विनीत कपूर, बी काम (आनर्स) ए आई सी डब्ल्यू ए, पो. बाक्स सं. 11464 10/1/ए प्रिन्सिपल खुदीराम बोस रोड, कलकत्ता-700 006 सदस्य संख्या 11981 उन्हें जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसे दिनांक 30 जून, 1993 से निरस्त किया जाता है।

एस. आर. आचार्य
सेक्रेटरी

सं. 16 सी डब्ल्यू आर (1162-1166)—द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेग्युलेशन 1959 का अनुसरण करते हुए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम 1959 की धारा 20 उपधारा 1 (क) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए द इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया की काउन्सिल ने निम्नलिखित सदस्यों के नाम अपने सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिए हैं :—

1. श्री जी. बी. जी. सोमायाजुलु, एम काम, एल. एल. बी ए. आई. सी. डब्ल्यू ए बी-1/3, जाबोनी इस्टेट, साल्ट लेक, कलकत्ता-700 064 सदस्य सं. 7850, 9 नवम्बर, 1989 से ।

2. श्री एम. एस. छाबरा, एम. ए. ए. आई. सी. डब्ल्यू. ए, हाउस नम्बर-193ए, स्ट्रीट नम्बर-31, सत्यम सेक्टर । स्मृति नगर, दुर्ग-491 002, सदस्य सं. 3420 दिनांक 4 मई, 1993 से प्रभावी ।

3. श्री एस. एस. बिरादर, बी. ई. ए. आई. सी. डब्ल्यू. ए., एक्स मैटिरियल मैनेजर्स हुत्ती गोल्ड माइन्स कं. लि. हुत्ती-584 115 सदस्यता सं. 9786 दिनांक 16 अक्तूबर, 1992 से प्रभावी ।

4. श्री जी. एस. भल्ला, ए. आई. सी. डब्ल्यू. ए. 4715, गुरूनानकवाडा, खालसा कालेज के निकट, अमृतसर-143 002 सदस्य सं. 1675 दिनांक 10 सितम्बर, 1993 से प्रभावी ।

5. श्री एस. श्रीकरण, बी. काम, ए. सी. ए, ए. आई. सी. डब्ल्यू. ए, सी-99, हाल कालोनी, बालानगर, हैदराबाद-500 042 सदस्य संख्या 10272 दिनांक 30 जुलाई, 1993 से प्रभावी—मृत्यु के कारण ।

एस. आर. आचार्य
सेक्रेटरी

कलकत्ता-700 016, दिनांक 23 नवम्बर 1993

सं. 18 सी डब्ल्यू आर (280)/93— द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेग्युलेशन 1959 के रेग्युलेशन 18 का अनुसरण करते हुए उक्त रेग्युलेशन के 17वें रेग्युलेशन के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए द इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया की काउन्सिल ने निम्नलिखित सदस्य का नाम अपने सदस्यता के रजिस्टर में पुनः लिख लिया है :—

1 श्री काशनाथ बालासुब्रमनियम, बी. काम., ए. सी ए ए. आई. सी. डब्ल्यू. ए. 2/4, चन्द्रलोक एपार्टमेन्ट्स, 390 गोखले नगर रोड, पुणे-411016 सदस्य सं. 3880 7 सितम्बर, 1993 से प्रभावी ।

एस. आर. आचार्य
सेक्रेटरी

दिनांक 20 दिसम्बर 1993

सं. 18 सी डब्ल्यू आर (281)/93—द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेग्युलेशन, 1959 के रेग्युलेशन 18 का अनुसरण करते हुए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त रेग्युलेशन के 17 वें रेग्युलेशन के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए द इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया की काइन्सिल ने अपने सदयता के रजिस्टर से श्री सेन चित्ता मल नागपाल, बी. ए. आनर्स, एम. ए. (एकनोमिक्स), ए. आई. सी. डब्ल्यू. ए., उप महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), स्टील आथरिटी आफ इण्डिया लि., भिलाई स्टील प्लान्ट, भिलाई-490 001 (सदस्य संख्या 2667) 24 नवम्बर, 1993 से प्रभावी पनः लिख लिया है ।

2. सी डब्ल्यू आर (140)/91 द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेग्युलेशन 1959 के नियमन 11 के उप विनियमन 3 का अनुसरण करते हुए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है श्री जे. भौमिक, बी. काम आनर्स, ए. सी. एम. ए., ए. सी. ए. ए. आई. सी. डब्ल्यू. ए., माया भवन, विवेकानन्द रोड, यादवपर ईस्ट, कलकत्ता-700 075 (सदस्य संख्या 4777 को उन्हें पेशेवर के रूप में कार्य करने को दिया गया प्रमाणपत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 से 30 जन, 1994 तक उनके अपने अनुरोध पर निरस्त कर दिया गया है ।

एस. आर. आचार्य
सेक्रेटरी

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

क्षेत्रीय कार्यालय (उड़ीसा)

भुवनेश्वर-751 007, दिनांक 28 दिसम्बर 1993

विषय : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य के कटक जिले में स्थानीय समिति बारंग का पुनर्गठन ।

सं. 44-भी-34/12/9/82-हितलाभ—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 10ए के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के कटक जिले में स्थानीय समिति बारंग का पुनर्गठन किया गया है जो अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा । समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. विनियम 10ए (1) (ए) के अंतर्गत :—
उप श्रम आयुक्त, कटक

अध्यक्ष

सदस्य

2. विनियम 10ए (1) (बी) के अंतर्गत :—
जिला श्रम अधिकारी, कटक

सदस्य

3. विनियम (सी) के अंतर्गत :—
प्रभारी बी। अधिकारी

कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, बारंग

पदेन सदस्य

4. विनियम 10ए (1) (डी) के अंतर्गत :—
नियोजकों के प्रतिनिधि

सदस्य

(1) श्री के. के. पाणीग्राही, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उड़ीसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बारंग

(2) श्री बी. बी. पट्टनायक, कार्मिक अधिकारी श्रीदुर्गा ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, बारंग

5. विनियम 10ए (1) (इ) के अंतर्गत :—
(कर्मचारी प्रतिनिधि)

सदस्य

(1) श्री बैरागी साहू, संयुक्त सचिव, बारंग श्रमिक संघ, बारंग

(2) श्री कृष्ण चन्द्र पाइकराय, संयुक्त सचिव, बारंग श्रमिक संघ, उड़ीसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बारंग

6. विनियम 10-ए (1) (एफ) के अंतर्गत :—

सदस्य तथा पदेन सचिव

प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय,

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बारंग

बिमल कान्ति
क्षेत्रीय नि

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

केन्द्रीय कार्यालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 5 जनवरी 1994

सा०आ०सं० के० भ० नि० आ०/1(4) आं० प्र०/(683)/93/01—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्र उपबन्ध अधिनियम 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापना पर लागू किए जाएं:—

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	आं० प्र०/24063	मै० सत्यम कारपोरेट ग्रुप, ग्रमेफ़ेयर सेन्टर, एस० पी० रोड, सिकन्दराबाद–500003 ।	1–10–92
2.	आं० प्र०/24157	मै० महाबीर ब्रदर्स, 5–9–1115–सी, कंचनजंगा कम्पलेक्स, किंग कोठी रोड, हैदराबाद–500001।	1–7–92
3.	आं० प्रा०/24164	मै० क्रिस इंजीनियर्स (प्रा०) लि० बी–30, ए० आई० ई० रामाचन्द्रापुरम, हैदराबाद–500032, शाखाओं सहित ।	1–4–93
4.	आं० प्र०/24116	मै० यूनीकार्न एग्रोटैक लि०, 1–7–139/3, सरोजनी देवी रोड, सिन्कदराबाद–500003।	1–9–92
5.	आं० प्र०/24135	मै० बापू टूलिंग पैकेजेस (प्रा०) लि०, सी–5, सन्त नगर, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, हैदराबाद, शाखाओं सहित ।	3–3–93

1	2	3	4
6.	आं० प्र०/24136	मै० के० एस० एन्टरप्राइजिज, 6-40, मेन रोड, राठीनगर, हैदराबाद-500018 ।	1-9-91
7.	आं० प्र०/21497	मै० विवेकानन्द जूनियर कालेज एण्ड पब्लिक स्कूल, तेनाली, गुन्टूर ।	1-9-92
8.	आं० प्र०/24112	मै० बाबूखान इस्टेट बिल्डिंग आनर्स एसोसिएशन, मेनटेंस आफिस सेलूर, बाबूखान इस्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद-500001 ।	1-7-92

अत: मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है ।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा० आ० सं० के० भ० नि० आ०/1(4) केरल(687)/93/10—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापना पर लागू किए जाएं।

क्रम० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	केरल/14002	मै० केराली हरिजन वीवर्स इंडस्ट्रीयल वर्कशाप, को० आप० सोसाइटी लि० नं० एच० एल० इण्ड० (सी) 46, केचेरी, पी० ओ० पपीनिसेरी, कन्नूर (डि०)।	1-4-93
2.	केरल/14003	मै० श्री गुरुवयूर बस सर्विस, पी० ओ० कपड कन्नूर-6।	1-4-93
3.	केरल/13549	मै० भुवनेश्वरी टैम्पल, चिनमाया मिशन एजुकेशनल एण्ड कलचरल ट्रस्ट, निरंजली राउन्ड नार्थ त्रीसूर।	1-6-91
4.	केरल/12633	मै० हिन्दी विद्यापीठ (केरल) अम्बुजा विलासम रोड, तिवेन्द्रम-695001 ।	1-5-93

अत: मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा० आ० सं० के० भ० नि० आ० 1 (4)/दिल्ली (699)/93/14—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि, और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापना पर लागू किए जाएं।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	दिल्ली/11751	मैं० रवीका इण्डस्ट्रीज, डब्ल्यू एच–63, फेस–1, मायापुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली।	1–11–89
2.	दिल्ली/14366	मै० न्यू इण्डिया स्ट्रक्चर प्रा० लि० एल–36 बी, मालवीया नगर, नई दिल्ली–110017।	1–4–92
3.	दिल्ली/15220	मै० रोजगार सर्विस ऐजेंसी, हा० न० 9, विलीज व पी०ओ० मुगेशपुरी, दिल्ली–39।	1–3–93
4.	दिल्ली/11913	मै० दी पायरिंग आईस, 20/22, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008	1–12–89

अतः मैं, बी० एन० सोम केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्यूक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा० आ० सं० के० भ० नि० आ० 1 (4)/महा० (700)/93/17—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं।

क्र०सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	महा०/29371	मै० पाडरंग वि० का० सह० (विकास) सेवा संस्था मर्यादित कस्बा बीड, तालुक करवीर डि० कोल्हापुर।	1–11–91
2.	महा०/36930	मै० महाराष्ट्रा स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, एम्प्लाइज को–आप० सोसा० लि०, ताकिया रोड, राजगोपालाचारी वार्ड, भण्डारा।	1–4–90
3.	महा०/60255	मै० चन्द्रापुर महासागर गंज वार्ड, चन्द्रपुर, शाखाओं सहित।	1–1–91
4.	महा०/60438	मै० संकल्प मार्किटिंग एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेज, शक्ति आफ-सेट बिल्डिंग वरधा रोड, नागपुर।	1–8–91
5.	महा०/39254	मै० श्री कृष्णा मार्किटिंग, तुलसी राम गुप्ता मिल्स इस्टेट, रेडडी रोड, बम्बई–400010, शाखाओं सहित।	1–8–92

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो कि उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा० आ० सं० के० भ० नि० आ० 1 (4)/महा० (708)/93/22—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापना पर लागू किए जाएं।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	महा०/39333	मै० रोशन इण्डस्ट्रीज, ए/101, कांति अपार्टमेंट, माउन्ट मेरी रोड, बांद्रा (वेस्ट) बम्बई—40050।	1—4—93
2.	महा०/29451	मै० बाबूराव जी महाजन नागरी, सहकारी पत संस्था लि०, कोनवडे ता० भुदरगढ़, डि० कोल्हापुर।	1—4—93
3.	महा०/29452	मै० जनता कुक्कट पालन व दूध व्यवसाय, सहकारी संस्था लि०, उत्तूर ता० अजारा, डि० कोल्हापुर।	1—1—93
4.	महा०/60645	मै० सेन्टर फार इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी, व फायर सर्विसेज, भाजी मण्डी, जुनी शुक्रवारी, नागपुर।	1—5—92
5.	महा०/60853	मै० श्री कनयका नागरी सहकारी, बैंक लि०, बालाजी मार्किट, चन्द्रापुर—442402 (एम० एस०)।	1—10—92
6.	महा०/38524	मै० ट्रीसर टूरस व ट्रैवल्स प्रा० लि० 216, मेकर चैम्बर्स 5, नारीमन पाइंट, बम्बई—400021।	1—1—92

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उन का उक्त प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा० आ० सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) गुज०/710/93/27—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापना पर लागू किए जाए।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	गुज०/23940	मै० धन्दोलोदिया मजदूर कामदार सहकारी मण्डली लि०, 179 अम्बिका कृपा सोसा० रेनिप, अहमदाबाद— 3824480, शाखाओं सहित।	1—11—91
	गुज०/23881	मै० लैफेन्स पेट्रोकेमिकल्स लि०, 321, जी० आई० डी० सी० पनोली डि०, भड़ोच, अंकलेश्वर शाखाओं सहित।	1—4—93
3.	गुज०/23927	मै० संजय इंजी० कन्स्ट्रक्शन कं०, 48/9, जी० आई० डी० सी० कलोल, नार्थ गुजरात।	1—4—93

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के सामने दर्शायी गई गई है।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा०आ० सं० के० भ० नि० आ० 1(4) गुज० (719)/93/31—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापना पर लागू किए जाएं।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	गुज०/23306	मै० कम्बाटा टैक्नीकल सर्विसेज प्रा० लि०, कम्बाटा सैट्रल भारत बाबिन्स लि०, प्रमीसिस, रेखियाल रोड, अहमदाबाद-380023।	1-4-92
2.	गुज०/23933	मै० पेस्ट कन्ट्रोल एन्टरप्राइजिज, 522/2, सरोज मेसन आउटसाइट पंचकुंआ गेट, अहमदाबाद-380002 (शाखाओं सहित)।	1-4-93
3.	गुज०/23914	मै० मूल डेन्टारी प्रा० लि०, प्लाट नं० 722, सोभनाथ रोड, विलेज डबहेल, नीन दमन-396210।	1-7-92

अतः मैं बी० एम० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई गई हैं।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा०आ० सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) कर्ना (721) /93/34 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	कर्ना०/15815	मै० एस० एस० सिक्योरिटी सिस्टम्स नं० 18, 6वां क्रास, लक्ष्मी रोड, शान्ति नगर, बंगलौर-560027	1-3-93
2.	कर्ना०/15883	मै० सफूर्ति डायगनोस्टिक प्रा० लि०, पहला तल, ब्लू क्रास चैम्बर्स, इन्फैन्ट्री रोड, क्रास बंगलौर-1	1-3-93
3.	कर्ना०/15339	मै० टी० एस० पी० एल० मशीन्स 59, मिलर्स रोड, बेन्सन टाउन, बंगलौर-46, शाखाओं सहित।	1-10-92
4.	कर्ना०/12489	मै० होटल अम्बली पालिका, 4724, रेस कोर्स रोड, हसन-573201, कर्नाटक	28-2-90
5.	कर्ना०/15298	मै० एस्ट्रल केमिकल्स एच० एम० टी०, लेआउट, दसप्पा गार्डन, आर० टी० नगर, गंगनहाली, वर्तमान पता नं० 45, सेल्लार फलास फलोर अपो० वसत नगर, बंगलौर-52	1-6-92

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उन प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूँ जो उक्त स्थापनाओं के आगे दर्शायी गई हैं।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा० आ० स० के० भ० नि० आ० 1(4)/टी० एन० (695)/93/40—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओ से संबधित नियोक्ता तथा कर्मचारियो का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापना पर लागू किए जायें।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी० एन०/25907	मै० ई० डी० 544, करलुसई मिल्क, प्रोडूसर्स को०-आप० सं सा० लि० कोट्टापलूर, पोस्ट, गोबीचेट्टीपलयम तालुक-638456 पेरियार, डि० तमिलनाडु।	1-1-93
2.	टी० एन०/25905	मै० ई० डी० 1346 एन० गनापतिपलयम मिल्क प्रोड्यूसर्स को०-आप० सोसा० लि०, एम० एस० गानापतिपलयम, पुदुकरायपुदूर, पोस्ट, गोबीचेट्टीपलयम तालुक, पेरियार डि०-638313।	1-12-92
3.	टी० एन०/25904	मै० ई० डी० 1390, चेट्टीपलयम मिल्क प्रोड्यूसर्स को०-आप० सोसा० लि०, नागादेवमपलयम पोस्ट-638476, गोबीचेट्टीपलयम तालुक पेरियार डि०।	1-9-92
4.	टी० एन०/25903	मै० ई० डी० 641, कुगालूर मिल्क प्रोडयूसर्स, को०-आप० सोसा० लि०, कुगालूर पोस्ट गोबीचेट्टीपलयम तालुक, पेरियार डि० (टी०एन०)।	1-6-92
5.	टी० एन०/25902	मै० ई० डी० 642 थलाईकोम्बुपदूर मिल्क प्रोड्यूसर्स को०-आप० सोसा० लि०, थलाईकोम्बूपदूर कुगालूर पोस्ट, गोबीचेट्टीपलयम तालुक, पेरियार डि० - 638313 (टी०एन०)।	1-9-92
6.	टी० एन०/29064	मै० ए-1123 पालवान्थम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को०-आप० बैंक पालवान्थम विरूद्ध नगर तालुक कामराजर डि० (टी० एन०)।	1-3-93
7.	टी० एन०/29063	मै० रेयिनको कन्स्ट्रक्शन क० 30, तमिल सगम रोड, मदुरई-625001।	1-1-93
8.	टी० एन०/23660	मै० जोलारपेट मिल्क प्रोडयूसर्स को०-आप० सोसा० लि०, जोलारपेट, एन० ए० ए० डि०।	1-12-89
9.	टी० एन०/20399	मै० इण्डस्ट्रीयल्स, 60, पंडियन स्ट्रीट, प्रकाश नगर, मद्रास-53।	1-9-90
10.	टी० एन०/30411	मै० वजीहूयर मिल्क प्रोड्यूसर्स को०-आप० सोसा० लि०, वजीहूयूर विलेज व पोस्ट पोलर तालुक, टी० एन० डि०।	1-2-93

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उन प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई है।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ०नि० आ० 1(4)/टी०एन० (697)/93/45—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी०एन०/29049	मै० टावल्स इण्डिया, 8/1, एम० के० लेन, माहल, तीसरी स्ट्रीट, मदुरई–1।	1–12–92
2.	टी०एन०/23303	मै० चन्दामामा विजया कम्ब्राइन्स, चन्दामामा बिल्डिंग, वडापलारी, मद्रास–26।	1–2–89
3.	टी०एन०/26262	मै० शांति प्रिंटर्स, 36, राजाजी रोड टम्बरम वैस्ट, मद्रास–45।	1–4–91
4.	टी०एन०/29138	मै० आर०एस०–767 मलाल प्राइमरी, एग्रीकल्चरल को०–आप० बैंक, साथारसनकेट्टई–623561 तमिलनाडु।	1–5–93
5.	टी०एन०/27623	मै० राजा सिक्योरिटी सर्विसेज, 169,बी गनेशापुरम। त्रिची–14।	1–6–92
6.	टी०एन०/27701	मै० आनन्दा सिल्क सेंटर, एन० एस० बी० रोड, त्रिची–2।	1–4–92

अतः मैं, बी०एन० सोम, भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उप क्रमाकी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

बी० एम० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के०भ०नि०आ० 1 (4)/केरल (698)/ 93/ 90—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना पर लागू किये जायें।

क्रमांक	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	केरल/12636	मैं० साउथशोर आईस क्रीमस प्रा० लि० 4/2554/पैटम कवडियार रोड, कुरावन कोनम, पैटम, पी० ओ०, त्रिवेन्द्रम–695004	01–02–1993
2.	केरल/12635	मै० जनरल इलैक्ट्रानिक्स सर्विसेज, मेन रोड, कोलम–1	01–04–1993
3.	केरल/11993	मै० बोस लाइन्स बस सर्विसेज, मेडिकल हाउस शांति नगर, पो० ओ० पैरामपुर, कोटाकल, मालापुरम डि०	01–01–1993

1	2	3	4
4.	केरल/12642	मै० नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी, कांजीरागोड, कुंदरा, पी० ओ० कोलम।	01-01-1993
5.	केरल/12629	मै० दी एक्स सर्विस मैंनस इन्टेलीजेंट सिक्योरिटी गार्डस, मंगातटुकाडाकु, थिरूमला, पी० ओ०- त्रिवेन्द्रम-695006	01-02-1993

अत: मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

बी०एन० सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) महा० (707)/93/ 54—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना पर लागू किए जायें।

क्रमांक	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	महा०/50067	मै० गुरू इलैक्ट्रानिक्स, 227, दीपक महल, देवलाली कैम्प-422401	30-11-1990
2.	महा०/50081	मै० एम० डी० शिशस्त लेबर कन्ट्रैक्टर्स, 198, शिवाजी रोड, सेंट थामस चर्च, नासिक-422001	31-10-1990
3.	महा०/50032	मै० टैक्नो फोर्स (ई०) प्रा० लि०, डी०-34, एम आई०डी०सी० इंडस्ट्रियल एरिया, अम्बाड, नासिक-422010, शाखाओं सहित।	01-04-1990

अत: मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

बी०एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) महा० (711)/ 93/ 58—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाये।

क्रमांक	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	महा०/37973	मै० क्रियेटिव मोटर्स "शिवराज" तेली पार्क रोड, अंधेरी (ईस्ट) बम्बई-400069 शाखा सहित।	01-11-1990
2.	महा०/39296	मै० पावर इक्विपमेंट एण्ड सर्विसेज, बी-1 रेनबो इंडस्ट्रियल इस्टेट, अपो० जेम्म इजीनियरिंग कं०, थ्यारोवली, एम० आई० डी० सी० अंधेरी, बम्बई-400093, शाखाओं सहित।	1-04-1993

1	2	3	4
3.	महा०/38901	मै० गुड नाइट कम्युनिकेशनस लि०, 126 क्रियेटिव इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, सुन्दर नगर, कलीना, बम्बई-400098 शाखाओं सहित।	01-08-1992
4.	महा०/38275	मै० शार्क स्पोर्टस, 24/सी०, सर्वोदया भवन, गोखले रोड, (नार्थ) दादर, बम्बई-400028	01-07-1991
5.	महा०/60918	मै० स्मृद्धि प्रिंटर्स प्रा० लि०, 212, लक्ष्मी निवास, अपोजिट अराधना काम्पलैक्स, गोकुलपत नगर, 440010	01-04-1993
6.	मसा०/39354	मै० संगमेश्वर तालुक कुनबी सहकारी पटपेडी लि०, परेल विलेज, बम्बई-400012	01-01-1993
7.	महा०/60771	मै० एच०वी० साल्वे चार्टर्ड एकाउन्टेंट नियर विश्व भारती टाइपिंग इंस्टीटयूट, मेन रोड, सीताबुलदी, नागपुर।	01-09-1992

अतः मैं०बी०एन०सोम, केन्द्रीय भविष्य निधिआयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं०के०भ०नि०आ० 1 (4) केरल (713)/ 93/ 63—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रमांक	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	केरल/12652	मै० यूनिक ट्रेड इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट एरिया कोचूवेली, तिवेन्द्रम-21	01-06-1993
2.	केरल/12650	मैम कुलाथूर उदया हैण्डलूम वीवर्स (पी० एण्ड एस०) को०-आप० सोसा० लि०, नं० एच-187, कुलाथूर, पी० ओ० तिरूवन्थापुरम शाखाओं सहित	01-07-1993
3.	केरल/12649	मै० प्राडगी प्लास्टिक्स प्रा० लि०, मुसालियर बिल्डिंग, चिन्नाककडा, कोलम, शाखाओं सहित।	01-07-1993
4.	केरल/12648	मै० रिलायंस सिक्योरिटी एजेंसी' प्रेम बिल्डिंग, नियर ए०एन०डी०पी० यूनियन आफिस, करूनागपल्ली, कोलम-690518, शाखाओं सहित।	01-06-1993
5.	केरल/12647	मै० पोरूवाजी हरिजन्स हैण्डलूम वीवर्स इण्डस्ट्रियल को०-आप० सोसा० लि०, नं० क्यू० एच०-10, पोरूवा, जी० पी० ओ० सस्थामकोटा, कोल्लम।	01-01-1993

6. केरल/12645	मै० थिरुवन्थापुरम गवर्नमेंटमाडल हाई स्कूल पेरंट टीचर एसोसिएशन, थाईकाड, थिरुवन्थापुरम-695014	1-7-93
7. केरल/13338	मै० टैक्नो फैब इरेक्टर्स, 5/316, शरयास बिल्डिंग, नार्थ, कालामसेरी-683104	1-3-1991

अतः मैं बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं पर उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हू जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के०भ०नि०आ० 1 (4) महा० 715/93/67—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जायें।

क्रमांक	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	एम०एच०/50160	मै० गोदावरी मार्कीटिंग सर्विसेज प्रा० लि०, "साई स्मृति" 33-ई, माथ सेक्टर, सुन्दरवन काशोनी, सिडको, नासिक-422009, शाखाओ सहित।	31-03-1991
2.	एम०एच०/50228	मै०आटो फिटस, एच-33, एम०आई०डी०सी० सतपुर, एम० नासिक-422007, शाखाओं सहित।	31-12-1991
3.	एम०एच०/50111	मै० भारती, पोस्ट पिम्पलगड, नासिक	31-10-1990
4.	महा०/50202	मै० जलगांव जिला महाराष्ट्रा राज्य विद्युत मंडल अभियंता सहकारी पटपैठी लि०, भुसावल डि०, जलगांव	31-03-1991
5.	एम०एच०/50129	मै० आर्डीनेन्स फैक्टरी एम्प्लाइज को०-आप० क्रेडिट सोसा० लि०, भुसावल, जि० जलगांव	31-12-1990
6.	महा०/50205	मै० कृष्णा रिसर्च एण्ड ब्रीडिंग फार्मर्स प्रा० लि०, प्लाट सं० 156/157, शिवगिरी कालोनी, एच०पी०टी० कालेज रोड, नासिक-422005, शाखाओं सहित।	31-03-1991
7.	एम०एच०/50107	मै० बी० एम० आधांगले (लेबर कान्ट्रैक्टर) अम्बेडकर चौक, सतपुर, नासिक-8।	31-10-1990
8.	एम०एच०/29338	मै० वेलो व्यू रिसार्ट, वेला रोड, नियर मार्कीट, महाबलेश्वर, डि० सतारा।	31-01-1991

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं पर उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

बी०एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4)/टी० एन० (727)/93/71—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना पर लागू किए जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी० एन० /30608	मै० मिपलाय, प्लाट नं० 56-ए, आफ III क्रास स्ट्रीट, नेहरू नगर, पेरूनगुडडई. मद्रास-41, शाखाओ सहित।	1-6-1993
2.	टी० एन० /30547	मै० एरी इंजीनियरिंग सर्विसेज (प्रा०) लि०, 44ए, एन० पी० डिवलप्ड प्लाट्स थिरूवी-का इंडस्ट्रियल इस्टेट एक्काटुटुथंगल, मद्रास-97, शाखाओं सहित।	2-4-1993
3.	टी० एन० /30571	मै० लोनस्टार इंडस्ट्रीज, 120/134, अंगप्पा नायकन स्ट्रीट, मद्रास-1, शाखाओं सहित।	1-6-1993
4.	टी० एन० /30597	मै० किमस लैदर टैनरीज, 4/124 बानापड्डी रोड, रानीपेट, एन०ए०ए० डि०	1-7-1993
5.	टी० एन० /30599	मै० वी० शुमगासुन्दरम स्टील फ़ैब्रीकेशन, इरेक्शन एण्ड सिविल कन्ट्रक्टर, 35, अब्राहिम साहिब मद्रास-1	1-7-1993
6.	टी०एन०/30213	मै० रेलवे बाला भवन मैट्रिकुलेशन स्कूल पनानथोप कालोनी-आयनावरम मद्रास-23	1-06-1992
7.	टी०एन०/28042	मै० जयलक्ष्मी मार्किटिंग लि०- सुबामनिया कमर्शियल काम्प्लेक्स, अवनाशी रोड, कोयम्बटूर-18, शाखाओं सहित।	1-05-1993
8.	टी०एन०/28053	मै० के०के० 364 करीमंगलम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को०-आप० बैंक लि०-करीमंगलम।	1-06-1993
9.	टी०एन०/28037	मै० श्री मनी ट्रांसपोर्टेरा 40/सी०-धर्मपुर रोड, तिरूपुर-8	1-04-1993
10.	टी०एन०/28051	मै० पैन्थर डिटेक्टिव एण्ड सिक्योरिटी 6 सी०, बोस बाजार हौसर-9	1-01-1993

अतः मैं बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं पर उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 5 जनवरी 1994

सं. एफ. पी.-1 (14)/93/एस. टी. सी /01—जहां मैसर्स स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. जवाहर व्यापार भवन, 1 टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 (1-सी) के अंतर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 से छूट प्रदान करने के लिए अपने एक कर्मचारी श्री एस. रामास्वामी कोड नं. ई/डी एल/7911/रिलक्स/7095 के सम्बन्ध में आवेदन भेजा है।

चूंकि मैं ब. ना. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि भारत सरकार पेंशन नियम (सी. सी. पेंशन नियम) के अन्तर्गत परिवार पेंशन के रूप में लाभ जो कि उक्त स्थापना के इस कर्मचारी पर लागू है, कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अंतर्गत उपलब्ध लाभ से अधिक अनुकूल है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1-सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ब. ना. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त स्थापना के कर्मचारी, जो कि उक्त स्थापना में आने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की

नौकरी में था, तथा सी. सी. एस. पेंशन नियमों द्वारा शासित था, को निम्नलिखित शर्तों पर अधिसूचना के जारी होने की तिथि से या नौकरी की अन्तिम तिथि, में उन कर्मचारियों के संबंध में जो सरकार के 22-1-90 के आदेश के अनुसरण में 22-1-90 से 21-7-90 के बीच विकल्प देने के बाद सेवा निवृत्त हुए को कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के सभी उपबंधों को लागू करने से छूट प्रदान करता हूं ।

1. ये कर्मचारी छूट की तिथि से कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 के अंतर्गत किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे ।

2. कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिए एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा ।

3. उक्त प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित नियोक्ता संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे रिटर्न भेजेगा, वे लेखे तैयार करेगा और निरीक्षण करने की वे सुविधाएं देगा जिसे समय-समय पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निदेश करेगा ।

अनुलग्नक :

ब. ना. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 10 जनवरी 1994

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/229—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-I

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	भारत सरकार के अधिसूचना में प्रकाशित दिनांक व संख्या जिसके द्वारा छूट प्रदान की गई	छूट की समाप्ति तिथि	बढ़ाई गई अवधि	के०भ०नि०आ० फा० सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसस एरीगथावरम आई हास्पीटल सोमपेटा डिस्ट्रिक्ट, सिरीकाकुलम	ए०पी० 4502	2/1959/डी०एल० आई० एक्जाम/89 पार्ट-1-दिनांक 18-01-1991	30-06-92	01-07-92 से 30-6-95	2/3335/90-डी०एल०आई०
2.	मै० सिरी वेनकटा बालाजी जूट मिल्स (प्रा०) लि० अमादाला-बालासा-532185 सिरीकाकुलन डिस्ट्रिक्ट	ए०पी० 16396	—वही— दि० 23-1-92	31-12-92	1-1-93 से 31-12-95	2/3903/91-डी०एल०आई०
3.	मै० नीलम जूट प्रा० लि० लक्ष्मी निलायम, चिन्ना वाल्टेयर स्ट्रीट	ए०पी० 17361	—वही— दि० 16-02-91	31-10-92	1-11-92 से 31-10-95	2/3369/91-डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का इस्तूल किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल न हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी की व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/बी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/237—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे है, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-I

क्रमांक	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	भारत सरकार के अधिसूचना में प्रकाशित दिनांक व संख्या जिसके द्वारा छूट प्रदान की गई	छूट की समाप्ति अवधि	छूट बढ़ाई गई अवधि	के०भ०नि०आ० फा०सं०
1.	मै० जी०पी० काटन एण्ड आयल प्रोडक्टस लिमिटेड (ऑयल डिवीजन) गन्नापावराम-522619 गुन्टूर डिस्ट्रिक्ट	ए०पी०/ 13606	2/1959/डी०एल० आई० एक्जम/89 पार्ट-1/408 दिनांक 29-01-92	31-3-92	1-4-92 से 31-3-95	2/4387/92-डी०एल०आई०
2	मै० फेडम शो कम्पनी मल्लीकायुना स्ट्रीट हनुमानपेट विजयवाड़ा-520003	ए०पी०/ 13679	—वही— दि० 24-03-93	31-1-93	1-2-93 से 31-1-96	2/4630/92-डी०एल०आई०
3.	मै० बापाट्टा इंजा निर्यरिंग कालेज बापाट्ला-522101	ए०पी०/ 16525	—वही— दि० 18-01-93	31-8-92	1-9-92 से 31-8-95	2/4333/92-डी०एल०आई०
4.	मै० आन्ध्रा प्रदेश हैवी मशीनरी एण्ड इंजी० लि० वी०एच०आर० शापिंग-कम-काम्पलैक्स दूसरी मंजिल गर्वमरपेट-विजयावाड़ा-(ए०पी०) 520002	ए०पी०/ 5864	2/1959/डी०एल० आई०/एक्जम/89 पार्ट-1/1752 से 59 दि० 7-04-93	27-11-92	28-11-92 27-11-95	2/960/83-डी०एल०आई०

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/181—जहां अनुसूची में उल्लिखित नियोक्ताओं के जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है । कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण छूट के लिए आवेदन किया है) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन निगम की सामूहिक बीमा स्कीम, का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची- II में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची- I) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, गोवा ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची–II

क्रमांक	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट प्रभावी	के०भ०नि०आ० फा० सं०
1.	मै० आटो सर्विस जोशी बिल्डिंग, पो० बी० 39, वासको दी गामा–गोवा	गोवा/ 9782	01–10–92 30–09–95	2/5199/ डी०एल०आई०
2.	मै० दि गोवा स्टेट कोप०आप बैंक लि०, हैड आफिस, पी०ओ० सं० 183, दयानन्द समृति, स्वामी विवेकानन्द रोड, पानाजी, गोआ	गोवा/ 9809	01–09–90 31–08–93	2/5200/93/"
3.	मै० इण्डियन रोजीरट होटल्स लि०, सिन्क्यूरेम बारदेज, गोवा	"/ 10010	01–03–92 28–02–95	2/5201/93/"
4.	मै० गोवा केपासीटोर्स प्रा० लि0, 14 कोरीलम इण्डस्ट्रियल एस्टेट, कोरीलम, ईलहास–403110	"/ 10103	01–07–92 30–6–95	2/5202/93/"
5.	मै० द्रोगाराय केलवालकार ड्रग हाउस मापुका गोवा–403507 शाखा सहित	'/ 10109	01–01–92 31–12–94	2/5205/93/"
6.	मै० फोरमोस्ट फरोजेन फूड्स न्यू वामलो बिल्डिंग दादा विधा रोड़, पानाजी, गोवा–403001	"/ 10253	01–01–91 31–12–93	2/5204/93/"
7.	मै० एटरेया इंजीनियरिंग वर्क्स दामोदर चैम्बर्स दूसरी मंजिल सं० 204, सामने सिण्डीकेट बैंक, वासको दा गामा	"/ 10270	01–03–92 28–02–95	2/5205/93/"
8.	मै० बी० जी० क्यूलिम केनी बिल्डिंग, डा० दादा विद्या रोड पानाजी, गोवा–403001	"/ 10282	01–02–92 31–02–95	2/5206/93/"
9.	मै० न्यू ईरा बारमेस प्रा० लि०, वास्को डी गामा, गोवा	'/ 10317	01–03–92 28–02–95	2/5207/93"

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरिणयां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरिणयों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यागत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिशों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिशों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/189—जहां अनुसूची में उल्लिखित नियोक्ताओं के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है । कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण छूट के लिए आवेदन किया है) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम, का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची- II में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची- I) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बड़ोदा ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची—II

क्रमांक	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट प्रभावी	के०भ०नि०आ० फ० सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० दि बड़ोदा कमर्शियल कारपो० लि०, "जय बाउग" बंगला, यूनिवर्सिटी रोड, बड़ौदा-390002	जी०जे०/ 2337	01-04-93 से 31-03-96	2/5331/93/ डी०एल०आई०
2.	मै० वेलकम ग्रुप बड़ौदरा आर०सी० दत्तारोड, बड़ोदा-390005 (इंडिया)	जी०जे०/ 17531	01-06-93 से 31-05-96	2/5332/93/"

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बो. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/197—जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अवायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम, का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची- II में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना का क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत छील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची–II

क्रमांक	स्थापना का नाम व पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फ० सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० स्टडफास्ट पेपर मिल्स, प्रा० लि०, डाकघर गांव उगरा, वाया वापी (आर०एस०) जिला –वलसाद	जी०जे०/3356	01–02–92 से 31–01–95	2/5300/93/डी०एल०आई०
2.	मै० गांधी नगर जिला कोप० मिल्क प्रोडुसर्स यूनियन लि० सैक्टर–25, के, रोड, नजदीक जी०आई०डी०सी० इलक्ट्रोनिक, एस्टेट, गांधी नगर	"/3567	01–04–92 से 31–03–95	2/5301/93/"
3.	मै० आस्टीन इंजीनियरिंग कं० लि० 101 जी०आई०डी०सी० एस्टेट, वदल रोड, जुनागढ़	"/11295	01–01–93 से 31–12–95	2/5302/93/"
4.	मै० आस्टीन इंजीनियरिंग कं० लि०, यूनिट II पाटला, गांव : पाटला तालुक बेसिन, जिला : जूनागढ़	"/11295–ए	01–01–93 से 31–12–95	2/5302/93/"
5.	मै० गुजरात लिज फाइनेन्स लि० हासुभाई चेम्बर्स टाउन हाल के पीछे, एलीजब्रिज, अहमदाबाद–6	"/10601–डी	01–01–88 से 31–12–90	2/3356/91/"
6.	मै० अम्बुजा मेटल इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि० मिडको कनेटेनीयर्स, जैन मन्दिर के पास, वतवा, अहमदाबाद ।	"/12293	01–03–89 से 28:02–92	2/5305/93/"
7.	मै० सिस्टमस डायनामिक्स, 1, डिप्टी बैंक आफ इण्डिया सोसाइटी, गुलभाई टेकरा रोड, अहमदाबाद–380006	"/14215	01–12–91 से 30–11–94	2/5337/93/"
8.	मै० ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टीफायर्स 233, गुजरात वेपरी महा मण्डल, इण्ड० एस्टेट, ओधव, अहमदाबाद	"/19190	01–01–93 से 31–12–95	2/5338/93/"
9.	मै० तरूण इंजीनियरिंग वर्क्स, प्रो० तरूण स्टैम्पिंग प्रा० लि० सागा कम्पाउड रेलवे स्टेशन के पीछे, अहमदाबाद खेड़ा जिला	जी०जे०/19133	01–03–93 से 28–02–96	2/5339/93/"

1	2	3	4	5
10.	मै० एस०आर० इण्टरमिडियटस, प्रा० लि०, 121/123 जी०आई०डी०सी० इण्ड० एस्टेट, ओधव अहमदाबाद–382415	"/ 10919	01–03–93 से 28–02–96	2/5340/93/ डी०एल०आई०
11.	मै० हिमसन टैक्सटाइल इंजीनियरिंग इण्ड० लि० हीरालाल कालोनी, अश्वनी कुमार रोड, सूरत	"/ 8430	01–05–91 से 30–04–94	2/5341/93/"
12.	मै० प्रिसिसन फाउण्ड्री एंड इंजीनियरिंग कं० 7, जी०आई०डी०सी० एस्टेट, वल्लभ विद्या नगर, खेड़ा जिला ((गुजरात)	"/ 7791	1–02–91 से 31–01–94	2/5342/93/"
13.	मै० विमल इलैक्ट्रोनिक कं०, 31, जी०आई०डी०सी० इण्ड० एस्टेट, मेहसाना–384002 (एन०जी०)	"/ 7386	01–08–88 से 31–07–91	2/5328/93/"
14.	मै० विशाल मालेबलस लि० 85/2, जी०आई०डी०सी० इण्ड० एरिया, अंकलेश्वर–393002	"/ 9520	01–02–90 से 31–01–93	2/5317/93/"
15.	मै० प्रिमियर इंजीनियरिंग वर्क्स, 4, उद्योग नगर, सुरेन्द्र नगर (गुजरात)	"/ 11221	01–02–90 से 31–01–93	2/5318/93/"

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना का भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब तक उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा. का सं 2/1959/डी एल आई/एक्जाम/89/भाग-1/205—जहां अनुसूची में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गुजरात ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची—I

क्रम० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ०नि०आ० फा० सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० अहमदाबाद टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन प०ओ० पोलिटैक्निक अहमदाबाद—380015	जी० जे०/ 2650	1—12—92 31—11—95	2/5208/93/ डी०एल०आई
2.	मै० दि अहमदाबाद मरसेनटाईल कोप बैंक लि०, मुनाज महन जा कारिया मस्जिद रिलाईफ रोड, अहमदाबाद—380001	"/ 4678	1—3—90 28—02—93	2/5209/93/"
3.	मै० रिमेक ट्रेडिंग कारपोरेशन प्राफुल निवास, पन्चावती इल्लोसब्रिज, अहमदाबाद—380006	"/ 5857—ए	1—11—89 31—10—92	2/5211/93/"
4.	मै० एक्ससेल इण्डस्ट्रीज लि०, 612, रूवापुरी, रोड, भावनगर—364005	"/ 5250	1—8—92 31—7—95	2/5210/93/"
5.	मै० गुजरात फिशरीज डिवलपमेंट कारपो० लि०, पटेल बिल्डिंग सामने एम० जे० लाइब्रेरी इल्लीसब्रिज, अहमदाबाद (शाखा सहित)	"/ 6651—जी	1—12—89 30—11—92	2/5212/93/"
6.	मै० गुजरात स्टेट सीडस कारपोरेशन लि०, बिज भवन, सैक्टर 10—ए, गान्धी नगर—382010	"/ 10278	1—6—89 31—5—92	2/5213/93/"
7.	मै० फोग एण्ड फोग लि०, ए बेड रोड, राजकोट—360003	"/ 10501	1—3—90 28—2—93	2/5214/93/"
8.	मै० सिरी सरदार वल्लभभाई पटेल रीजनल आईल सीडस ग्रोवर को०, ओ० यूनियन लि०, सामने जी०ई०बी० सब-स्टेशन, ईदार—384430	"/ 14119	1—2—93 31—1—96	2/5215/93/"
9.	मै० सेनरेल रेसोयानस प्राटेल निवास, पैंचवती इल्लीसब्रिज, अहमदाबाद—380006 (शाखा सहित)	"/ 14279	1—11—89 31—10—92	2/5216/93/"

1	2	3	4	5
10.	मै० सेठी इण्डस्ट्रियल गैसीस (गुज) प्रा० लि०, आई–2 जी०आई०डी०सी० इण्डस्ट्रियल इस्टेट सामने बैंक ऑफ बड़ौदा, ओधव, अहमदाबाद–382415	जी०जे० 15836	1–3–89 29-2–92	2/5217/93 डी०एल०आई०
11.	मै० कलोकनर विन्डसोर इण्डिया लि०, प्लाट नं० 6 एण्ड 7 जी०आई०डी०सी० छात्रल– 382729 जिला मेहसाना	"/ 16892	1–1–93 31–12–96	2/5218/93/"
12.	मै० अरटिया कारगो मूवर्स प्रा० लि०, दूसरी मंजिल, सर्किल एस्टेट नारोल इसानपुर रोड, अहमदाबाद–382443	"/ 17273	1–11–92 31–10–95	2/5219/93/"
13.	मै० यूनाइटिड सबमरजीबल पम्प (प्रा०) लि०, 9 जी०आई०डी०सी० एस्टेट, छोलका	जी2००/ 18746	1–12–92 30–11–95	2/5220/93/"
14.	मै० दि मेहसाना अर्बन कोप० बैंक लि०, हाईवे मेहसाना, मेहसाना–384002 (एन०जी०)	"/ 19506	1–8–92 31–7–95	2/5221/93/"
15	मै० गुजरात वेनयर फाइनेन्स लि०, पहली मंजिल प्रेमचन्द हाऊस, अन्नेक्स बिहाइण्ड पापुलर हाऊस, आश्रम रोड, अहमदाबाद–9	"/ 23206	1–1–93 31–12–95	2/5222/93/"
16.	मै० हाईनूर फूड एंड आयल इण्ड० लि०, मारुति भवन एयर इंडिया के पीछे आश्रम रोड, अहमदाबाद–380009	"/ 14134	1–1–92 31–12–94	2/5277/93/"

अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड–क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बताए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकलन हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि में कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यस्क हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निदेशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा. का. सं. 2/1959/डी. एल. आई.एक्जाम/89/भाग-1/213—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम, का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गोवा ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	बी०भ०नि०आ० फा० सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० पी० वी० नायक एंड कं० नीरा ए० डी० कोस्टा रोड़, मारगोवा, गोवा ।	गोवा/ 10127-ई	1-1-88 31-12-90 और 1-1-90 31-12-92	2/3440/91/ डी० एल० आई०
2.	मै० गोवा फार्मा, डीयस बिल्डिंग ओरमुज रोड़, पानाजी-गोवा	"/10142	1-11-90 31-10-93	2/4365/92/ डी० एल० आई०
3.	मै० गोवा इलैक्ट्रीकल्स एंड फैन्स लि०, प्लाट नं० 5, जी डी डी आई डी सी इण्ड० एस्टेट, बैंटोरा, पोण्डा गोवा-403409	"/10296	1-10-91 31-9-94	2/5180/93 डी० एल० आई०
4.	मै० चोगले इण्डस्ट्रीज लि० पो० बा० नं० 306, मारगोवा-403601	"/ 9821	1-5-90 30-4-93	2/5228/93/ डी० एल० आई०
5.	मै० हिन्दुस्तान फूड्स लि०, पानाजी, गोवा	"/ 10344	1-3-92 28-2-95	2/5235/93/ डी०एल०आई०
6.	मै० गोवा स्टील रोलिंग मिल्स लि०, राधा कृष्णा इण्ड० इस्टेट बिचोलिम-गोवा	"/9872	1-2-91 31-1-94	2/5229/93/ डी०एल०आई०

1	2	3	4	5
7.	मै० दामोदर मंगलजी माइनिंग क०, दामोदर निवास, एम० जी० रोड़, पानाजी-गोवा-403001	"/9936	1-9-92 31-8-95	2/5230/93/ डी०एल०आई०
8.	मै० गोवा बगयातदार सहकारी खारादी विकरी सोसायटी लि० पोनडा गोवा (साथ मे शाखाएं)	"/9999	1-2-90 31-1-93	2/5231/93/ डी०एल०आई०
9	मै० जुआरी प्लास्टिक्स सनकोल इण्ड० एस्टेट रोड़ न० सनकोल-गोवा	"/10025 31-9-94	1-10-91 30-9-94	2/5232/93/ डी०एल०आई०
10.	मै० गोवा लैमिनेटर्स, प्लाट न० 4, 5, 6 सनकोल इण्ड० एस्टेट, जुआरी नगर, गोवा	"/10258	1-9.91 31-8-94	2/5233/93/ डी०एल०आई०
11.	मै० प्लास्टिक्स कैनटेनर्स गोवा प्रा० लि०, 2री मंजिल, जोशी बिल्डिंग, वास कोडिगामा, गोवा।	"/10303	1-1-92 31-12-94	2/5234/93/ डी०एल०आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/221—जबकि अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, डी. एन. राम केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम, का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं डी. एन. राम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित तिथि से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बड़ोदा ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० सं०
1.	मै० मरेना लि०, 3/23-24, इंडस्ट्रियल एस्टेट, बड़ोदा—390003	जी०जे०/4382	1-11-89 31-10-92	2/5311/93/ डी०एल०आई०
2	मै० ईजी अलाईड कारपोरेशन लि०, 2002 जी० आई० डी० सी० हलोल, जिला पंच महल	जी०जे०/20055	1-10-91 30-9-94	2/5320/93/ डी०एल०आई०
3	मै० हलोल टी० कास्ट लि०, 2103—बी जी० आई० डी० सी० हलोल, पंच महल जिला	जी०जे०/20055-ए	1-11-91 31-10-94	2/5321/93/ डी०एल०आई०
4	मै० विजयधर विलास लि०, 2103-ए, जी० आई० डी० सी० हलोल, पंच महल जिला 20055-बी	जी०जे०/20055-बी.	1-11-91 31-10-94	2/5322/93, डी०एल०आई०
5.	मै० धारा लि०, अलैम्बिक रोड, बड़ोदा—390003	जी०जे०/981-बी	1-11-89 31-10-92	2/5323/93/ डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एन. आई./एक्जाम/89/भाग-1/245—उक्त अनुसूची में उल्लिखित नियोक्ताओं के (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है । कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण छूट के लिए आवेदन किया है) जिसमें इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम, का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसमें इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं बी. एन सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना का क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त फरीदाबाद ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए स्कीम के संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची—I

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट का प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ०फा०सं०
1.	मै० दीपक आटो (प्रा०) लि०, 145, उद्योग विहार, गुड़गांव (हरियाणा)	एच०आर०/4014	1-3-91 से 28-2-94	2/4480/92—डी०एल०आई०
2.	मै० दीपक आटो (प्रा०) लि०, 61, मारुति इंडस्ट्रियल कम्प्लैक्स, गुड़गांव, (हरियाणा)	एच०आर०/4015	1-3-91 से 28-2-94	2/4481/92—डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1 उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने को एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/253—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवनबीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से जिस तिथि से उक्त स्थापना के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अनुसार ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची—I

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ०फा०सं०
1	मै० नेटा वाल्वस प्रा० लि०, जालन्धर, पंजाब	पी० एन०/15303	1-1-89 से 31-12-91	2/5249/93/ डी०एल०आई०
2.	मै० जे० एम० पी० इन्टरप्राईजिज प्रा० लि०, 982, प्रीत नगर, जालन्धर, पंजाब	पी० एन०/15575	1-1-92 से 31-12-94	2/5188/93/

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना के भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपने अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम को, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

बम्बई, दिनांक 5 जनवरी 1994

सं. यूटी/डीबीडीएम/91 ए/एसपीडी 71 ई/93-94—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 19(1) (8) (सी) के अन्तर्गत निर्मित मासिक आय यूनिट प्लान 1994 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई मासिक आय यूनिट योजना 1994 के उपबंध जो 11 नवम्बर 1993 को हुई बैठक में कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं।

सुधा पिल्लै
स्टाफ अधिकारी
व्यवसाय विकास और विपणन विभाग

मासिक आय यूनिट योजना 1994

एमआईयूएस94

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय

यूनिट ट्रस्ट नामी मंडल इसके द्वारा निम्नलिखित यूनिट योजना बनाता है ।

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का प्रारम्भ :

(1) यह योजना मासिक आय यूनिट योजना 1994 (एमआई यूएस-94) कही जाएगी ।

(2) यह 3 जनवरी 1994 से प्रभावी होगी । योजना की अवधि 1 मार्च 1994 से 28 फरवरी 1998 तक चार वर्षों की होगी ।

(3) यूनिट की बिक्री 3 जनवरी 1994 से 15 फरवरी 1994 तक केवल 44 दिनों के लिए होगी । लेकिन अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी बिक्री योजना शुरू होने के बाद किसी भी समय यथा निर्णीत प्रमुख समाचार पत्रों में या किसी भी अन्य तरीके से 7 दिन की सूचना देकर योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री को स्थगित कर या आगे बढ़ा सकते हैं ।

2. परिभाषाएं :

इस योजना में जब तक विषयवस्तु में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 है;

(ख) "स्वीकृति तिथि" ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए ट्रस्ट को भेजे गए आवेदन पत्र के संदर्भ में स्वीकृति तिथि का अर्थ है उक्त तिथि, जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर आवेदन पत्रों को स्वीकार करता है कि यह सही है ।

(ग) "आवेदक" का अर्थ है योजना के अंतर्गत आवेदक और इसमें मानसिक विकलांग व्यक्ति के हित के लिए यूनिट बेचते समय आवेदन पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक शामिल होंगे ।

(घ) "आवेदन" पत्र का अर्थ है योजना के खंड 4 में यथासंदर्भित आवेदन पत्र से है ।

(ङ) "पात्र संस्था" का अर्थ पात्र ट्रस्ट है, जैसा भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में परिभाषित किया गया है और जिसमें लिखत द्वारा निर्मित निजी ट्रस्ट है और अटल या धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट या धर्मादा या पंजीकृत समिति होने के कारण केन्द्रीय या राज्य अधिनियमन के प्रचलित उपबंधों में से के अंतर्गत शामिल या उसके नियंत्रित या पर्यवेक्षित होता है या पंजीकृत सहकारी समिति है, सम्मिलित है ।

(च) "मानसिक विकलांग" का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसी मानसिक अशक्तता से ग्रस्त है जिसके कारण वह जीवन के सामान्य कार्यकलापों को निर्वाह नहीं कर सकता और पंजीकृत चिकित्सक द्वारा भी इसी रूप में प्रमाणित किया गया है ।

(छ) "निर्गमित यूनिटों की संख्या" का अर्थ है बिक्री की गयी और बकाया शेष यूनिटों की समग्र संख्या ।

(ज) "व्यक्ति" में यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है ।

(झ) "मान्यताप्राप्त शेयर बाजार" का अर्थ है ऐसा शेयर बाजार जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956, (1956 का 42) के अंतर्गत तत्समय मान्यता प्राप्त हो ।

(ञ) "विनियम" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अंतर्गत बनायी गयी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है ।

(ट) "समिति" का अर्थ है, तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य या केन्द्रीय विधि के अंतर्गत स्थापित समिति ।

(ठ) "यूनिट" का अर्थ है यूनिट पूंजी में दस रुपए के अंकित मूल्य का एक अप्रतिभूत शेयर ।

(ड) योजना में प्रयुक्त "सदस्य" का अर्थ है और इसमें शामिल है आवेदक, जिसकी योजना और उसमें बनाए गए प्लान के अंतर्गत यूनिट आवंटित की गयी है ।

(ढ) नाबालिग के मामले में "वैकल्पिक आवेदक" का अर्थ है नाबालिग की ओर से आवेदन करने वाले माता-पिता से भिन्न माता-पिता ।

(ण) अन्य सभी अभिव्यक्तियां, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं ।

3. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य 10/- रुपए होगा ।

4. यूनिट के लिए आवेदन पत्र :

(1) यूनिट के लिए आवेदन केवल निवासियों द्वारा ही किया जा सकता है अर्थात् :

(क) व्यक्ति एकल रूप में या अन्य व्यक्तियों के साथ सयुक्त/उत्तरजीवी आधार पर ।

(ख) किसी नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता/सौतेला माता-पिता अन्य विधिक अभिभावक । आवेदन वयस्क और नाबालिग दोनों संयुक्त रूप में नहीं कर सकते हैं ।

(ग) निजी न्यास सहित योजना के अंतर्गत यथा परिभाषित पात्र संस्था, जो ट्रस्ट हो और जिसके द्वारा निर्मित हो ।

(घ) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए कोई अन्य व्यक्ति ।

(ङ) योजना के अंतर्गत परिभाषित समिति ।

(च) पंजीकृत सहकारी समिति ।

(छ) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत बनाए गए बैंक और अलाभकर कम्पनियों सहित, किन्तु कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों को छोड़कर अन्य निगमित निकाय ।

(ज) हिन्दू अविभक्त परिवार ।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में किए जाएंगे ।

(3) आवेदन न्यूनतम 500 यूनिट के लिए और इसके बाद 50 यूनिट के गुणक में किए जाएंगे ।

(4) (i) आवेदक द्वारा आवेदित यूनिट के लिए आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा । चेक या ड्राफ्ट उस नगर में स्थित बैंक की किसी शाखा पर आहरित होना चाहिए, जहां यूटीआई का कार्यालय हो और वहां आवेदन पत्र जमा किया जाए ।

किन्तु, यदि आवेदक किसी ट्रस्ट कार्यालयेतर स्थान से यूनिट के लिए आवेदन जमा करना चाहें तो वे आवेदित यूनिट के लिए बैंक ड्राफ्ट के साथ अपना आवेदन पत्र देय बैंक ड्राफ्ट प्रभार घटाकर भेज सकते हैं ।

(2) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाता है, तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चेक प्राप्त करने की तिथि होगी बशर्ते कि चेक की राशि की वसूली हो गयी हो । यदि ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाता है तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की राशि की वसूली हो गयी हो और ट्रस्ट या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र को आवेदन पत्र ऐसी तिथि प्राप्त हो जाए, जो ट्रस्ट द्वारा उचित समझा जाए । यदि आवेदित यूनिट के भुगतान के लिए जमा की गयी राशि आवेदित यूनिट के लिए देय राशि से कम हो तो आवेदक को उतनी ही कम संख्या में यूनिटें जारी की जाएंगी जितनी योजना के अंतर्गत की जा सकती है तथा शेष राशि उसको उसके खर्च पर इस तरह वापस की जाएगी जैसा ट्रस्ट सही समझे ।

(3) सदस्यता सूचना आवेदक द्वारा दिए गए पते पर डाक से भेजी जाएगी । प्रेषित सदस्यता सूचना, के खो जाने, क्षतिग्रस्त होने, गलत डलिवरी होने या डिलिवरी नहीं मिलने के संबंध में ट्रस्ट उत्तरदायी नहीं होगा ।

(4) पात्र संस्था या निगमित निकाय को ट्रस्ट द्वारा उसके नाम से सदस्यता सूचना जारी की जाएगी ।

(5) आवेदन पत्र स्वीकार करने या अस्वीकार करने का ट्रस्ट का अधिकार :

योजना में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने और या अस्वीकार करने का एक मात्र विवेकाधिकार ट्रस्ट का होगा । योजना में आवेदन करने की किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के संबंध में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा ।

अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्तीकरण के दायी होंगे :—

यदि आवेदन पत्र अपूर्ण पाया जाएगा तो उसे रद्द किया जा सकता है और ट्रस्ट अपेक्षित परिचालन और प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद यथाशीघ्र बिना कोई ब्याज के आवेदन राशि वापस कर देगा ।

(6) यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना के अंतर्गत अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी :

योजना में यूनिट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता से ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी । ट्रस्ट की संतुष्टि के लिए ऐसी अपेक्षाओं का पालन करना या न करना ट्रस्ट के पूर्ण विवेकाधिकार पर होगा । जो व्यक्ति गलत घोषणा कर यूनिट रखेगा वह सदस्यता निरस्त किए जाने का भागी होगा और उसका नाम सदस्य पूंजी से काट दिया जाएगा । ऐसी स्थिति में ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह यूनिटों को पुनर्खरीद सममूल्य पर करे और गलती से भुगतान की गयी आय वितरण की राशि की वापसी पुनर्खरीद आगम से करे और शेष राशि वापस कर दे । इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, चाहे ट्रस्ट को पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि प्रेषित करने में जितना भी समय लगे ।

5. यूनिटों की बिक्री :

यूनिट की बिक्री संविदा स्वीकृति तिथि को पूरी हुई मानी जाएगी । बिक्री संविदा पूरी होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवेदक को सदस्यता सूचना जारी करेगा, जो इसका साक्षी होगा कि उसे सदस्य के रूप में योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में सदस्य के रूप में प्रविष्ट कर लिया गया है ।

6. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) अवरुद्ध अवधि एक वर्ष की होगी । पहले वर्ष में (अर्थात् 28-2-1995 तक) कोई पुनर्खरीद नहीं होगी ।

(2) ट्रस्ट दूसरे वर्ष प्रशासनिक खर्च जो अंकित मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगा, और पिछले माह तक प्रदत्त लाभांश की राशि काटकर यूनिटों की पुनर्खरीद सममूल्य पर करेगा । तीसरे वर्ष से, (अर्थात् 1-3-1996 से) अंकित मूल्य के 2% तक प्रशासनिक खर्च और पिछले माह तक प्रदत्त लाभांश काटकर, यूनिट

की पुनर्खरीद सममूल्य पर करेगा । पूर्ण रूप से भरे गए पुनर्खरीद फार्म के साथ सदस्यता सूचना प्राप्त होने पर ही पुनर्खरीद की जाएगी । सदस्यता सूचना में अंकित सभी यूनिट पुनर्खरीद के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए । आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

पुनर्खरीद के लिए आवेदन करते समय सदस्य को पुनर्खरीद मास तक बकाया शेष अदत्त आय वितरण वारन्ट ट्रस्ट को वापस करना होगा ।

ट्रस्ट सदस्यता सूचना के साथ पुनर्खरीद पत्र स्वीकार करने के बाद ट्रस्ट न तो भावी महीनों के लिये यूनिट पर आय वितरण वारन्ट देने के लिये बाध्य होगा और न ही पुनर्खरीद आगम पर कोई ब्याज । ट्रस्ट प्राप्त सभी दस्तावेज और अदत्त आय वितरण वारन्ट निरस्तीकरण के लिए अपने पास रख लेगा ।

(3) आय वितरण वारन्ट की जो राशि भविष्य में देय हो और पुनर्खरीद के समय उस राशि की कटौती पुनर्खरीद मूल्य से की जानी हो, लेकिन सदस्य द्वारा आय वितरण वारन्ट सौंपे नहीं गये हों तो पूर्ववर्ती उप खण्डों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यूनिट की पुनर्खरीद करते समय ट्रस्ट को ऐसी राशि की कटौती करने के बाद शेष राशि का भुगतान करने की स्वतन्त्रता होगी । ट्रस्ट द्वारा सदस्यता सूचना और पुनर्खरीद पत्र स्वीकार करने के बाद स्वीकार्य मास और उससे आगे का आय वितरण, प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार समाप्त हो जाएगा और ऐसी बकाया आय वितरण राशि का दावेदार ट्रस्ट होगा ।

(4) किसी भी सदस्य को पूरे वर्ष का आय वितरण मासिक आधार पर प्राप्त करने का हक तभी होगा जब वह यूनिट पूरा वर्ष रखे । यदि कोई सदस्य वर्ष के कुछ महीनों के लिए यूनिट रखता है तो वह यूनिटों की धारण अवधि के लिए अनुपातिक आधार पर आय वितरण प्राप्त करने का हकदार होगा उसे पूरे कैलेन्डर माह के लिए यूनिट रखना होगा और माह के किसी अंश को, चाहे वह कितने भी दिन का हो, कभी भी हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(5) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, संबंधित सदस्यता सूचना, पुनर्खरीद पत्र और मृत सदस्य के नाम बकाया अदत्त आय वितरण वारन्ट विधिक प्रतिनिधि या नामिति द्वारा ट्रस्ट के पास जमा करने पर और दावे की मान्यता से सम्बंधित औपचारिकताएं पूरी होने पर उक्त उप खण्ड (2) और (3) और ट्रस्ट द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा और दावे के निपटान की तिथि तक के बकाया आनुपातिक मासिक आय वितरण का भुगतान करेगा और ऐसा भुगतान पूरे महीने की अवधि के लिए किया जाएगा ।

(6) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद की गयी यूनिटों का भुगतान कटौतियों के बाद, यदि हो, स्वीकृति तिथि के बाद यथाशीघ्र आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित रीति से किया जाएगा । आवेदक को बकाया राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा और ट्रस्ट द्वारा किये गये प्रेषण (बैंक खर्च सहित) या भेजे गए चेक या ड्राफ्ट की वसूली का खर्च आवेदक को वहन करना होगा ।

7 यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध

योजना के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा —

(1) ऐसे दिन जो कार्य दिवस नहीं है और,

(2) उक्त अवधि के दौरान जब सदस्यों की पंजी बहियों और लेखों की वार्षिक बन्दी (ट्रस्ट द्वारा यथा-अधिसूचित) के कारण बन्द रहती है ।

स्पष्टीकरण

इस योजना के प्रयोजनार्थ "कार्य दिवस" का अर्थ ऐसे दिन से है जो निम्नलिखित दोनों में कोई भी दिवस नहीं है — (1) परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में जहां ट्रस्ट के अपने कार्यालय हैं, सार्वजनिक अवकाश के रूप में अधिसूचित हो, या (2) भारत के राजपत्र में 'ऐसे दिवस के रूप में' अधिसूचित हो, जिस दिन ट्रस्ट का कार्यालय बन्द होगा ।

8 बिक्री मूल्य

(1) बिक्री पेशकश की अवधि में यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी ।

(2) खण्ड 26 में यथा विनिर्दिष्ट तरीके से योजना की समाप्ति की स्थिति में ट्रस्ट पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण ट्रस्ट निम्न रूप से करेगा । योजना की अधिसूचित तिथि को कार्य समाप्ति पर योजना से संबंधित आस्तियों के मूल्य में योजना से संबंधित देयताओं का घटाकर और बकाया यूनिटों की संख्या से उसमें भाग देकर और उसमें उतनी राशि घटाकर, जो ट्रस्ट की राय में बनावटी, कमीशन, कर यदि हो, स्टाम्प शुल्क और निवेशों की वसूली के सम्बंधित अन्य खर्चों के लिये पर्याप्त हो तथा अन्य समायोजन करके और योजना समाप्ति संबंधी अन्य खर्च तथा योजना संबंधी आस्तियों के सदस्यों का आय वितरण का भुगतान करके पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाएगा । उक्त स्थिति में पुनर्खरीद मूल्य प्रति यूनिट आस्ति के अन्य वितरण योग्य घटक के सममूल्य के अलावा होगा जो ट्रस्ट द्वारा ऐसी रीति से निकाला जाएगा जो उसके लेखा परीक्षकों के लिये संतोषजनक हो, और जिस रूप में बोर्ड उसे अनुमोदित करे ।

लेकिन इस उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के बावजूद पुनर्खरीद मूल्य निम्नलिखित तरह से भी निकाला जा सकता है। बोर्ड द्वारा निर्धारित रीति से आबटन की अवधि के संदर्भ में योजना को आबंटित आस्तियों के मूल्य में उसी अवधि के संदर्भ में योजना से संबंधित देयताओं से घटाकर तथा उक्त तिथि को कारोबार की समाप्ति पर यूनिटों की संख्या से भाग देकर पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाएगा । इस रूप में पुनर्खरीद मूल्य निकालते समय ट्रस्ट और सदस्यों के हित को ध्यान में रखा जाएगा ।

9 अंतिम पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन

योजना की समाप्ति पर उसके खण्ड 26 में दी गई रीति से ट्रस्ट यथाशीघ्र अंतिम पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद उसे ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा, जैसा वह उचित समझेगा ।

10 इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन

(1) योजना के अंतर्गत आस्तियों के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ आस्तियों का विभाजन (क) नकदी (ख) निवेश (ग) अन्य आस्तियों के रूप में किया जाएगा ।

(2) निवेशों के मूल्यांकन में निम्नलिखित लिये जाएंगे —

अ (क) शेयर बाजार की किसी कार्य दिवस को बन्द मूल्य, जिसपर ट्रस्ट द्वारा इस योजना सम्बन्धी धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाता है, किन्तु जहां एक से अधिक शेयर बाजारों में प्रतिभूति का भाव कोट किया जाता हो वहां उक्त प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण का तरीका ट्रस्ट द्वारा निश्चित किया जाएगा ।

(ख) जहां संगत अवधि के दौरान कोई निवेश का बिक्री नहीं की गयी हो या किसी स्वीकृत शेयर बाजार में उसका भाव कोट नहीं किया गया हो, ऐसी परिस्थिति में निवेश का वही मूल्य होगा जिसे ट्रस्ट निवेश का उचित मूल्य समझेगा, और

ग इस में निम्नलिखित को जोड़कर—

(क) ब्याज अर्जित करनेवाली जमा राशियों के मामले में प्रोद्भूत किन्तु अप्राप्त ब्याज;

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों और डिबेंचरों के मामले में प्रोद्भूत किन्तु अप्राप्त ब्याज, और

(ग) लाभांश रहित निवेदिती इक्विटी शेयरों और अधिमान शेयरों के मामले में घोषित किन्तु अप्राप्त लाभांश ।

(3) अन्य आस्तियों का मूल्यांकन उनके वही मूल्य पर किया जाएगा ।

11. सदस्यता सूचना

योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में जारी यूनिटों के लिए सदस्य को कोई यूनिट/सदस्यता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा । किन्तु सदस्यता सूचना दी जाएगी और जो योजना और इसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में सदस्य के रूप में प्रवेश का साक्ष्य होगी ।

12 यूनिट प्रमाणपत्र स्यार करने की विधि

सदस्यता सूचना इसके साथ संलग्न फार्म "ए" में होगा ।

13. योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्ट की मान्यता और प्रवेश नहीं दिया जाना

(1) जो व्यक्ति धारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से कोई सदस्यता सूचना जारी की गयी है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और यह समझा जाएगा कि केवल उसे ही ऐसी यूनिट का अधिकार, स्वत्वाधिकार या उसमें हित है, और ट्रस्ट एसे सदस्य को उनके एक मात्र स्वामी के रूप में मानता रहेगा और उसको प्रतिकूल किसी नोटिस से बाध्य नहीं होगा या व्यक्त रूप से किये गये उपबंध या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश का छोड़कर न्याय निष्पादन की कोई नोटिस नहीं लेगा । इसके अलावा जिसमें किसी ट्रस्ट या ईक्विटी या अन्य हित को मान्यता देना है, जिससे योजना के अंतर्गत बनाए गए प्लान के अंतर्गत जारी यूनिटों का अधिकार प्रभावित होता है, से भी बंधा नहीं होगा ।

(2) जब मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए कोई व्यक्ति आवेदन करता है और ट्रस्ट द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो यह नहीं समझा जाना चाहिये कि ट्रस्ट किसी विश्वास पर ध्यान देगा । आवेदक की मृत्यु होने पर ट्रस्ट सभी प्रयोजनों के लिए योजना और इसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में आवेदक से आवेदन पत्र में वैकल्पिक आवेदक के रूप में उल्लिखित व्यक्ति से व्यवहार करेगा ।

14 सदस्यता सूचना का विनिमय और उसके फटे-फटे, विरूपित हो जाने या खो जाने की स्थिति में प्रक्रिया

योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के अन्तर्गत उपर्युक्त प्रयोजन के लिए सदस्य ऐसे नियमों/दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेगा और ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित करेगा, जैसा समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाया जाये/आवश्यक समझा जाए ।

15. सदस्य पंजी

सदस्यों के पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबंध किये जाएंगे—

(1) ट्रस्ट द्वारा सदस्य पंजी रखी जाएगी और पंजी में निम्नलिखित दर्ज कि जाएगी —

(क) सदस्यों के नाम और पते,

(ख) सदस्यता सूचना की संख्या और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या और

(ग) जिस व्यक्ति के नाम से यूनिट है उसके धारक बनने की तिथि ।

(2) किसी सदस्य द्वारा अपने नाम या पते में किए गये परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को देनी होगी जो ऐसे परिवर्तन के संबंध में संतुष्ट होने पर और ट्रस्ट द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर पंजी में तदनुसार परिवर्तन किया जाएगा किसी आवेदक, जिसने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट के लिये आवेदन किया है, की मृत्यु से होनेवाले परिवर्तन की प्रविष्टि पंजी में की जाएगी ।

(3) पंजिया की बन्दी अवधि को छोड़कर इसमें इसके पश्चात इस संबंध में अतिरिक्त उपबंधों के अनुसार कार्य-अवधि के दौरान (ट्रस्ट द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन, किन्तु प्रत्येक कार्य-दिवस को कम-से-कम दो घंटे निरीक्षण के लिए खुली रहेगी । सदस्य को निरीक्षण के लिए निःशुल्क खुली रहेगी ।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बन्द रहेगी, किन्तु किसी भी वर्ष में 30 दिनों से अधिक समय के लिए बन्द नहीं रहेगी। ट्रस्ट ऐसी बन्दी की सूचना, समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(5) किसी भी यूनिट के संबंध में पंजी में कोई ट्रस्ट अभिव्यक्त, विवक्षित या आन्वयिक सूचना अंकित नहीं की जाएगी।

16. पात्र संस्था नाबालिग, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए आवेदक द्वारा आवेदन पत्र और उनका पंजीकरण

(1) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों सहित) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जाएंगी।

(2) कोई भी वयस्क व्यक्ति, जो मातापिता सौतेला माता-पिता या किसी नाबालिग का विधिक अभिभावक है, अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2ग) में उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और उनकी बिक्री कर सकता है। ऐसा वयस्क व्यक्ति अपेक्षित होने पर ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट रीति में नाबालिग की उम्र का प्रमाण और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने और उनकी बिक्री करने की क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत करेगा। ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में उक्त वयस्क द्वारा दिए गए कथन पर बिना अतिरिक्त प्रमाण के कार्यवाई करे।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए आवेदन पत्र दिया जाए जो मानसिक रूप से विकलांग है, ट्रस्ट उसके कथन और जमा किए गये प्रमाण-पत्रों पर कार्यवाई करेगा और ऐसा करते हुए यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट सद्भावपूर्वक कार्यवाई कर रहा है। ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए केवल आवेदक के साथ व्यवहार करे और उसकी मृत्यु होने की स्थिति में वैकल्पिक आवेदक के साथ और ट्रस्ट द्वारा उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को यूनिट के सम्बन्ध में किया गया कोई भुगतान ट्रस्ट के लिए सही भुगतान होगा।

(4) जब कभी अपेक्षित होगा पात्र संस्थाओं, निगमित निकायों या समितियों को ट्रस्ट को सभी संगत कागजात जिनमें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता, जैसे संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम उप विधि आदि, प्रबंध समिति के संकल्प की प्राधिकृत प्रतिलिपि और अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति होगी प्रस्तुत करनी होगी।

17 ट्रस्ट के उन्मोचन के लिये सदस्य द्वारा रसीद

योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान की यूनिटों के संबंध में सदस्यों को भुगतान की गयी राशि के लिये उनकी रसीद ट्रस्ट के लिए अच्छा उन्मोचन (गुड डिस्चार्ज) माना जाएगा।

18. सदस्यों द्वारा नामांकन

(1) एकल या दो सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप में यूनिट के धारक सदस्य विनियमों में किये गये उपबंधानुसार नामांकन करने या नामांकन रद्द करने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

(2) सदस्यों, चाहे वे माता-पिता हों या किसी नाबालिग के विधिक अभिभावक, पात्र संस्थाओं समितियों, निगमित निकाय और आवेदकों जो मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए आवेदन करनेवाले आवेदन को, नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा।

19. यूनिटों का अंतरण

योजना के अंतर्गत जारी यूनिट अंतरित/गिरवी/सुपर्द नहीं की जा सकती है।

20. सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन

(1) यूनिट के संयुक्त सदस्यों में से किसी एक की मृत्यु होने पर योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में जारी यूनिटों पर या उसमें हित के लिए ट्रस्ट द्वारा स्वामित्व केवल उत्तरजीवी को ही मान्यता दी जाएगी। लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई बात उक्त यूनिटों के संबंध में ऐसे उत्तरजीवी के विरुद्ध किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

(2) एकल सदस्य की मृत्यु होने पर नामिती ही वह व्यक्ति होगा जो ट्रस्ट द्वारा ऐसे व्यक्ति के रूप में मान्य होगा, जो विनियमों के अंतर्गत यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट से राशि पाने का अधिकारी है।

(3) एकल सदस्य द्वारा वैध नामांकन न करने पर मृत सदस्य के निष्पादक या प्रशासक को या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग X के अंतर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक को ही ट्रस्ट द्वारा यूनिटों पर स्वत्वाधिकार के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(4) मासिक आय विकल्प के अंतर्गत सदस्य(यों) की मृत्यु या दिवालियेपन के फलस्वरूप यूनिट के हकदार व्यक्ति को, ट्रस्ट द्वारा हक के लिये पर्याप्त समझे गए साक्ष्य प्रस्तुत करने पर तथा दावेदार द्वारा दावा संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मृतक के खाते में जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

(5) यदि सदस्यता सूचना में उल्लिखित एक मात्र नामिती वह व्यक्ति हो जो पात्र यूनिट धारक हो तो उक्त नामिती को इच्छा पर मृतक के नाम जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बदले यह अनुमति दी जाएगी कि वह पंजीकृत सदस्य के रूप में यूनिट रख सकता है और न्यूनतम धारण की शर्तों के अधीन उसके नाम में उतने यूनिट के लिये सदस्यता सूचना जारी की जा सकती है जितनी की उसने अपेक्षा की हो।

(6) किसी ऐसे आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जिसने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट के हेतु आवेदन किया हो, ट्रस्ट वैकल्पिक आवेदक के साथ ऐसा व्यवहार करेगा मानो वही आवेदक हो । यथास्थिति आवेदक या वैकल्पिक आवेदक की मृत्यु की स्थिति में विद्यमान आवेदक किसी अन्य व्यक्ति को अपने वैकल्पिक आवेदक के रूप में नियुक्त करेगा ।

21. निवेश की सीमा

(1) ट्रस्ट द्वारा योजना की निधि से किसी भी कम्पनी की प्रतिभूतियों में निवेश ऐसी कम्पनियों की निर्गत और बकाया की प्रतिभूतियों के 5% से अधिक नहीं होगी । नये औद्योगिक उपक्रमों द्वारा प्रारम्भ में जारी पूंजी में ऐसा समय निवेश एक बार में उक्त निधि की कुल राशि के 5% से अधिक नहीं होगी ।

(2) उप-खण्ड (1) में निर्धारित सीमा बांडों और डिबेंचरों और किसी कम्पनी की सुरक्षित या असुरक्षित जमा राशियों में ट्रस्ट के निवेश पर लागू नहीं होगी ।

22. आय वितरण

(1) पहले दो वर्षों, अर्थात् 01-03-94 से 29-02-96 तक के लिये योजना के अंतर्गत आय वितरण 13% वार्षिक की दर से होगा । आय वितरण की राशि मासिक आधार पर देय होगी । 1 1/2 वर्ष की समाप्ति पर, अर्थात् जुलाई-अगस्त 1995 में अगले दो वर्षों के लिए लाभांश दर निर्धारित और घोषित की जाएगी । शेष दो वर्षों के लिए यह दर लागू होगी । आय वितरण की दर योजना की आय और अन्य संबंधित कारकों पर आधारित होगी ।

(2) प्रत्येक महीने के लिए आय वितरण अगले माह के आरम्भ में देय होगा और ट्रस्ट द्वारा पूर्व अदायगी व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखाओं में सम्मूल्य पर आय वितरण वारन्ट या भुनाने योग्य लिखत के माध्यम से भुगतान किया जाएगा

ऐसी यूनिट, जो ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत आवेदन के अंतर्गत महीने के 15वें दिन या उसके पहले बेची गयी हों, पूरे महीने के आय वितरण की पात्र होगी और यदि यूनिटें महीने के 15वें दिन या उसके बाद बेची गयी हों, तो केवल आधे महीने के आय वितरण की पात्र होगी । लाभांश पाने का हक शामिल होने की तिथि पर निम्न रूप में निर्भर करेगा :—

03-01-1994 से 15-01-1994—पूरे महीने का लाभांश

16-01-1994 से 31-01-1994—आधे महीने का लाभांश

01-02-1994 से 15-02-1994—पूरे महीने का लाभांश

(3) लेकिन 31 अगस्त 1994 को समाप्त अवधि के लिए आय वितरण एक आय वितरण वारन्ट द्वारा भेजा जाएगा और उसके साथ सदस्य को 29 फरवरी 1996 तक के महीनों के लिए 18 उत्तर दिनांकित आय वितरण वारन्ट भेजे जाएंगे ।

शेष 2 वर्षों के लिए पुनरीक्षित लाभांश दर निर्धारित करने के बाद यथाशीघ्र 24 उत्तर दिनांकित आय वितरण वारन्ट भेजे जाएंगे ।

किन्तु ऐसे सदस्यों के लिए, जिन पर यह लागू होगा, और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए, जैसा ट्रस्ट निर्धारित करे, उत्तर दिनांकित आय वितरण वारन्ट प्रेषित करने का अधिकार ट्रस्ट के पास होगा ।

(4) उप खण्ड (3) के उपबंधों के अधीन मासिक आधार पर आय वितरण के लिये वारन्ट सदस्य को दो लाट में भेजे जाएंगे और वारन्ट इस रूप में दिनांकित किए जाएंगे कि प्रत्येक भुगतान के लिए परिपक्व हो जाए । प्रत्येक वारन्ट 3 महीने के लिए वैध होगा । वैधता अवधि की समाप्ति के पहले सदस्य के पास वारन्ट के न पहुंचने या वारन्ट की गतावधि हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट ब्याज का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा ।

(5) पुनर्खरीद की स्थिति में, जो हमेशा पूर्ण रूप से की जाएगी, अदत्त वारन्ट न सौंपने पर, सदस्य बाद के महीनों के लिए देय जो वारन्ट परिपक्वता तिथि को उसके पास हो, उन्हें भुनाने का हकदार होगा और ऐसे आय वितरण वारन्ट की राशि पुनर्खरीद आगम से काट ली जाएगी ।

(6) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, यदि एकमात्र नामिती यूनिट धारण करने का पात्र है और आगे भी यूनिट रखना चाहते हैं, एकमात्र नामिती को आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के सभी अदत्त वारन्ट ट्रस्ट को लौटाने होंगे । किन्तु ऐसा नामिती जो आगे भी यूनिट रखना चाहता हो, उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार का ब्याज या क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा जो अवधि मृत सदस्य के पक्ष में पहले से निर्गत वारन्ट में सुधार करके नये प्रविष्ट सदस्य के पक्ष में जारी करने में लगेगी ।

(7) किसी आवेदक की मृत्यु की स्थिति में जहां मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया जाता है, वैकल्पिक आवेदक को भावी महीने के सभी बिना भुनाए गए आय वितरण वारन्ट आवश्यक सुधार के लिए वापस करने होंगे । किन्तु, ऐसा वैकल्पिक आवेदक उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के ब्याज/क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा जो अवधि मृत आवेदक के पक्ष में पहले से निर्गत वारन्ट में सुधार करके नये प्रविष्ट आवेदक के पक्ष में जारी करने में लगेगी ।

(8) पूर्ववर्ती उप खण्ड में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर आय वितरण करने का ट्रस्ट का अधिकार सुरक्षित

रहेगा, चाहे कार्यसाधकता खर्च, सदस्यों के ब्याज के कारण और अन्य परिस्थितियों में ट्रस्ट के लिये ऐसा करना आवश्यक हो जाए । ऐसी स्थिति में ट्रस्ट दो प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा सदस्यों को सूचित करेगा । ट्रस्ट द्वारा उपर्युक्त आशय की अधिसूचना के बाद किसी भी सदस्य को मासिक आधार पर आय वितरण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

बोनस लाभांश . इस योजना में कोई बोनस लाभांश नहीं दिया जाएगा ।

परिपक्वता होने पर पूंजी वृद्धि

इस योजना में जो भी पूंजी वृद्धि संचित होगी, यह व्यय आदि घटाकर परिपक्वता अवधि तक लगातार बने रहें, सदस्यों को वितरित कर दी जाएगी ।

23. रिलायंस प्रारक्षित निधि (डी आर एफ) अंशदान

योजना के अंतर्गत संग्रहित निधि का 0.25% रिलायंस प्रारक्षित निधि में अंशदान के लिये अलग रखा जाएगा ।

24. लेखों का प्रकाशन

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा निर्धारित रीति से उस तिथि को समाप्त अवधि के योजना के कार्यों का लेखा प्रकाशित करेगा । ट्रस्ट किसी सदस्य से लिखित रूप से अनुरोध प्राप्त होने पर प्रकाशित लेखे की एक प्रति उसे भेजेगा ।

25. योजना में परिवर्धन और संशोधन

समय-समय पर कोई योजना में कोई भी संशोधन/परिवर्धन कर सकता है जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

26. योजना की समाप्ति

28 फरवरी 1998 को योजना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी । सभी सदस्य जो इस योजना में, इसकी पूरी अवधि के लिए शामिल रहेंगे उन्हें इस प्रयोजन हेतु निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिटों के मूल्य का भुगतान किया जाएगा। रजिस्ट्रार या निर्गम कार्यालय पुनर्खरीद पत्र के साथ सदस्यता सूचना की प्राप्ति से 3 सप्ताह के भीतर, ट्रस्ट सदस्यों को पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान करेगा । निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य के अलावा बाद की अवधि के लिये किसी प्रकार का अन्य लाभ, चाहे पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि के रूप में हो या लाभांश में वृद्धि के रूप में, उपचित नहीं होगा । पुनर्खरीद के लिए प्राप्त सदस्यता सूचना और अन्य फार्म निरस्तीकरण के लिए रख लिये जाएंगे ।

27. सदस्यों के लिए योजना बाध्यकारी

योजना के प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी समय-समय पर किए जाने वाले संशोधन और परिवर्तन सहित योजना की शर्तें प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जो उसके माध्यम से दावा करता है मानों व्यक्त रूप से दावा होने के लिये सहमत हो, के लिये बाध्यकारी होंगी ।

28. सदस्यों को लाभ

पूंजी, प्रारक्षित निधि और सरप्लस के संबंध में योजना में उपचित सभी लाभ योजना की समाप्ति के समय केवल उन्हीं सदस्यों को उपलब्ध होंगे जो इसकी समाप्ति के समय तक पूरी अवधि के लिए यूनिट के धारक रहेंगे ।

29. योजना की प्रति उपलब्ध करायी जाएगी

सभी संशोधन सहित योजना की प्रति, ट्रस्ट के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए पूरे कार्य समय के दौरान उपलब्ध रहेगी। किसी भी व्यक्ति को आवेदन तथा 5/- रु. की राशि जमा करने पर यह दी जा सकती है ।

30. उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार

योजना के किसी भी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर सिर्फ अध्यक्ष या यूटीआई का अध्यक्ष न हो तो कार्यपालक न्यासी को योजना के उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा और ऐसा निर्णय अंतिम निश्चायक और बाध्यकारी होगा ।

31. उपबंधों का शिथिलीकरण परिवर्तन/संशोधन

सिर्फ अध्यक्ष या ट्रस्ट का अध्यक्ष न हो तो, कार्यपालक न्यासी कठिनाइयां दूर करने के उद्देश्य से या योजना के निर्बाध और सहज परिचालन के लिए योजना के किसी उपबंध को शिथिल, परिवर्तित या संशोधित कर सकते हैं बशर्ते कि किसी यूनिट धारक या यूनिट धारक वर्ग के लिए ऐसा करना उचित समझा जाए ।

एमआईपी-94 के अन्तर्गत यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए आवेदन-पत्र

दिनांक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मैं/हम ______ भारतीय यूनिट ट्रस्ट की मासिक आय यूनिट प्लान 1994 (एमआईपी 94) की सदस्यता सूचना सं. ______ में अंकित ______ यूनिटों के पंजीकृत सदस्य/उत्तरजीवी/नामिती-उत्तराधिकारी-मृत सदस्य(यों) के विधिक प्रतिनिधि हूं/हैं और सदस्यता सूचना में अंकित सभी उक्त यूनिट इस आवेदन-पत्र की स्वीकृति तिथि को प्रचलित मूल्य/ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर ट्रस्ट को बेचने का/के इच्छुक हूं/हैं। संबंधित सदस्यता सूचना संलग्न है।

यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य मुझे/हमें चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा नीचे दिए गए पते पर भेज दिया जाए।

साक्षी का हस्ताक्षर

सदस्य(यों) का/के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

नाम ______

व्यवसाय ______

पता ______

1. ______

2. ______

[यदि शैली (स्टाइल) में अन्तर हो और उस बैंकर द्वारा सत्यापित है जहां बैंक के पास चैक/मांग ड्राफ्ट सीधे भेजे जाएंगे तो] सदस्य का पता/बैंकर का पता दिया जाना चाहिए।

खाता सं ______

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

स्वीकृति तिथि

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

यदि सदस्य अंगूठे का निशान लगा रहा है, तो उसे दण्डाधिकारी/नोटरी/राज्य/केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी या आरबीआई/आईडीबीआई के अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए।

फार्म ए

—प्रतीक—

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मासिक आय यूनिट प्लान—1994

(खण्ड 12)

सदस्यता सूचना

मासिक आय यूनिट योजना 1994 (एमआईयूएस—94) के अन्तर्गत बनाए गए मासिक आय यूनिट प्लान 1994 (एमआईपी—94) के उपबंधानुसार निर्गत

अहस्तान्तरणीय

सदस्यता सं

यूनिटों की सं (अंकित मूल्य 10/- रु. प्रति यूनिट)

सदस्य का नाम

पता

उत्तरजीवी नामित सदस्य का नाम

कृते भारतीय यूनिट ट्रस्ट
आंचलिक प्रधान

स्थान .

तिथि

मासिक आय यूनिट प्लान 1994 के उपबंध

एमआईपी 94

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय यूनिट ट्रस्ट न्यासी मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित यूनिट प्लान बनाता है।

1. यह प्लान मासिक आय यूनिट योजना 1994 (एम आई यू एस-1994) के अन्तर्गत मासिक आय यूनिट प्लान 1994 (एम आई पी-1994) कहा जाएगा और 3 जनवरी 1994 से आरंभ होगा।

2. **पेशकश की अवधि**

योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में जारी यूनिटों की बिक्री केवल 44 दिन की अवधि के लिए 3 जनवरी 1994 से 15 फरवरी 1994 तक होगी।

लेकिन अध्यक्ष या कार्यपालक न्यासी योजना के अन्तर्गत किसी भी मुख्य प्रमुख समाचार पत्रों में या यथानिर्णीत अन्य रीति से 7 दिन की अग्रिम नोटिस देकर यूनिट की बिक्री स्थगित या आगे बढ़ा सकता है।

3 **प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य**

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य 10 रुपये होगा ।

4. यूनिट के लिए आवेदन .

(1) यूनिटों के लिए आवेदन केवल निवासियों द्वारा ही किया जा सकता है, अर्थात्

(क) व्यक्ति एकल रूप में या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त/उत्तरजीवी आधार पर ।

(ख) किसी नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता सौतेला माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक आवेदन वयस्क और नाबालिग दोनों द्वारा संयुक्त रूप में नहीं किया जा सकता है ।

(ग) निजी न्यास सहित योजना के अंतर्गत यथा परिभाषित पात्र संस्था, जो अटल हो और लिखत द्वारा निर्मित हो ।

(घ) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए कोई अन्य व्यक्ति ।

(ङ) योजना के अन्तर्गत परिभाषित समिति ।

(च) पंजीकृत सहकारी समिति ।

(छ) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत बनाये गये बैंक और अलाभकारी कंपनियों सहित, किंतु कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों को छोड़कर अन्य निगमित निकाय ।

(ज) हिन्दू अविभक्त परिवार ।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में किये जाएंगे ।

(3) आवेदन न्यूनतम 500 यूनिट के लिए और इसके बाद 50 यूनिट की गुणक में किये जाएंगे ।

(4) भुगतान की विधि .

(1) आवेदक द्वारा आवंटित यूनिट के लिए आवेदन पत्र के साथ नकद, चैक या ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा । चैक या ड्राफ्ट उस नगर में स्थित बैंक की किसी शाखा पर आहरित होना चाहिए, जहां एटीआईई का कार्यालय हो और वहां आवेदन पत्र जमा किया जाए ।

किन्तु, यदि आवेदक किसी ट्रस्ट कार्यालयेतर स्थान से यूनिट के लिए आवेदन जमा करना चाहें तो वे आवंटित यूनिट के लिए बैंक ड्राफ्ट के साथ अपना आवेदन पत्र देय बैंक ड्राफ्ट प्रभार घटाकर भेज सकते हैं ।

(2) यदि भुगतान चैक द्वारा किया जाता है, तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चैक प्राप्त करने की तिथि होगी, बशर्ते कि चैक की राशि की वसूली हो गयी हो । यदि ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाता है तो स्वीकृति तिथि उस ड्राफ्ट के निर्गम की तारीख होगी, बशर्ते ऐसे ड्राफ्ट की वसूली हो गयी हो । साथ ही, ट्रस्ट या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र को आवेदन पत्र ऐसी तिथि तक प्राप्त हो जाए जो ट्रस्ट द्वारा उचित समझा जाए । यदि आवंटित यूनिट के भुगतान के लिए जमा की गयी राशि आवंटित यूनिट के लिए देय राशि से कम हो तो आवेदक को उतनी ही कम संख्या में यूनिटें जारी की जाएंगी जितनी योजना के अंतर्गत की जा सकती है तथा शेष राशि उसको उसके खर्च पर इस तरह वापस की जाएगी, जैसा ट्रस्ट सही समझे ।

5. यूनिटों की बिक्री :

यूनिट की बिक्री के लिए सविदा, स्वीकृति की तिथि को पूरी हुई मानी जाएगी । बिक्री सविदा पूरी होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवंटक को सदस्यता सूचना जारी करेगा, जो इसका साक्षी होगा कि उस सदस्य के रूप में योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में सदस्य के रूप में प्रविष्ट कर लिया गया है ।

6 यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) अवरुद्ध अवधि एक वर्ष की होगी । पहले वर्ष में (अर्थात् 28-2-1995 तक) कोई पुनर्खरीद नहीं होगी ।

(2) ट्रस्ट दूसरे वर्ष प्रशासनिक शुल्क, जो अंकित मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगा और पिछले माह तक प्रदत्त लाभांश की राशि काटकर यूनिटों की पुनर्खरीद सममूल्य पर करेगा । तीसरे वर्ष से (अर्थात् 01-03-1996 से) अंकित मूल्य के 2% तक प्रशासनिक खर्च और पिछले माह तक प्रदत्त लाभांश काटकर यूनिट की पुनर्खरीद सममूल्य पर करेगा । पूर्ण रूप से भरे गए पुनर्खरीद फार्म के साथ सदस्यता सूचना प्राप्त होने के बाद ही पुनर्खरीद की जाएगी । सदस्यता सूचना में अंकित सभी यूनिट पुनर्खरीद के लिए प्रस्तुत करना चाहिए । आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

पुनर्खरीद के लिए आवेदन करते समय सदस्य को पुनर्खरीद माह तक बकाया शेष अदत्त आय वितरण वारण्ट ट्रस्ट को वापस करना होगा ।

ट्रस्ट सदस्यता सूचना के साथ पुनर्खरीद पत्र स्वीकार करने के बाद ट्रस्ट न तो भावी महीनों के लिए यूनिट पर आय वितरण

वारण्ट देने के लिए बाध्य होगा और न ही पुनर्खरीद आगम पर कोई ब्याज । ट्रस्ट प्राप्त सभी दस्तावेज और अदत्त आय वितरण वारण्ट निरस्तीकरण के लिए अपने पास रख लेगा ।

(3) आय वितरण की जो राशि भविष्य में देय हो और पुनर्खरीद के समय उस राशि की कटौती पुनर्खरीद मूल्य से की जानी हो, लेकिन यदि सदस्य द्वारा आय वितरण वारण्ट सौंपे नहीं गए हों तो पूर्ववर्ती उप-खंडों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यूनिट की पुनर्खरीद करते समय ट्रस्ट को ऐसी राशि की कटौती करने के बाद शेष राशि का भुगतान करने की स्वतंत्रता होगी । सदस्यता सूचना और पुनर्खरीद पत्र स्वीकार करने के बाद स्वीकृति मास और उससे आगे का आय वितरण प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार समाप्त हो जाएगा और ऐसी बकाया आय वितरण राशि का दावेदार ट्रस्ट होगा ।

(4) किसी भी सदस्य को पूरे वर्ष का आय वितरण मासिक आधार पर प्राप्त करने का हक तभी होगा, जब वह यूनिट पूरे वर्ष रखे । यदि कोई सदस्य वर्ष के कुछ महीनों के लिए यूनिटें रखता है तो वह यूनिटों की धारण अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर आय वितरण प्राप्त करने का हकदार होगा और उसे पूरे कैलेण्डर माह के लिए यूनिट रखना होगा और माह के किसी अंश को, चाहे वह कितने भी दिन का हो, कभी भी हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(5) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, संबंधित सदस्यता सूचना पुनर्खरीद पत्र और मृत सदस्य के नाम बकाया अदत्त आय वितरण वारण्ट विधिक प्रतिनिधि या नामिति द्वारा ट्रस्ट के पास जमा करने पर और दावे की मान्यता से संबंधित औपचारिकताएं पूरी होने पर उक्त उप-खंड (2) और (3) तथा ट्रस्ट द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा और दावे के निपटान की तिथि तक के बकाया आनुपातिक मासिक आय वितरण का भुगतान करेगा और यह भुगतान पूरे महीने की अवधि के लिए किया जाएगा ।

(6) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद की गयी यूनिटों का भुगतान कटौतियों के बाद, यदि हों, स्वीकृति तिथि के बाद यथाशीघ्र आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सम्मिलित उल्लिखित रीति से किया जाएगा । आवेदक को बकाया राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा । ट्रस्ट द्वारा किए गए प्रेषण (डाक खर्च सहित) या भेजे गए चैक या ड्राफ्ट की वसूली का खर्च आवेदक को वहन करना होगा ।

7. सदस्यों द्वारा नामांकन :

(1) एकल या दो सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से यूनिट के धारक सदस्य विनियमों में किए गए उपबंधानुसार नामांकन करने एवं नामांकन रद्द करने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं ।

(2) सदस्यों, चाहे वे माता-पिता हों या किसी नाबालिग के विधिक अभिभावक, धार्मिक संस्थाओं, समितियों, निगमित निकायों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए आवेदन करनेवाले आवेदकों को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा ।

8. यूनिटों का अंतरण :

योजना और इसके अनुसार बनाए गए प्लान के अंतर्गत जारी यूनिट अंतरित/गिरवी/सुपुर्द नहीं की जा सकती है ।

9. सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन :

(1) यूनिट के संयुक्त सदस्यों में से किसी एक की मृत्यु होने पर योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में जारी यूनिटों पर स्वामित्व या उसमें हित के लिए ट्रस्ट द्वारा केवल उत्तरजीवी को ही मान्यता दी जाएगी, लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई बात उक्त यूनिट के संबंध में ऐसे उत्तरजीवी के विरुद्ध किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है ।

(2) एकल सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में, नामिती ही वह व्यक्ति होगा जो ट्रस्ट द्वारा ऐसे व्यक्ति के रूप में मान्य होगा जो विनियमों के अंतर्गत यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट से राशि पाने का अधिकारी है ।

(3) एकल सदस्य द्वारा वैध नामांकन न करने पर मृत सदस्य के निष्पादक या प्रशासक को या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अंतर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक को ही ट्रस्ट द्वारा यूनिटों पर स्वत्वाधिकारी के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(4) मासिक आय विकल्प के अंतर्गत सदस्य(यों) की मृत्यु पर या दिवालियापन के फलस्वरूप यूनिट के हकदार व्यक्ति को, ट्रस्ट द्वारा हक के लिए पर्याप्त समझे गए साक्ष्य प्रस्तुत करने पर तथा दावेदार द्वारा दावा संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मृतक के खाते में जमा यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा ।

(5) यदि सदस्यता सूचना में उल्लिखित एक मात्र नामिती वह व्यक्ति हो, जो यूनिट धारक हो, तो उक्त नामिती की इच्छा पर मृतक के नाम जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बदले नामिती को यह अनुमति दी जाएगी कि वह

पंजीकृत सदस्य के रूप में यूनिट रख सकता है और न्यूनतम धारण की शर्तों के अधीन उसके नाम में उसने यूनिट के लिए सदस्यता सूचना जारी की जा सकती है जिसकी उसने अपेक्षा की हो ।

(6) किसी ऐसे आवेदक की मृत्यु की स्थिति में जिसने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट हेतु आवेदन किया हो, ट्रस्ट वैकल्पिक आवेदक के साथ ऐसा व्यवहार करेगा मानो वही आवेदक हो । यथास्थिति, आवेदक या वैकल्पिक आवेदक की मृत्यु की स्थिति में विद्यमान आवेदक किसी अन्य व्यक्ति को अपने वैकल्पिक आवेदक के रूप में नियुक्त करेगा ।

10. आय वितरण :

(1) पहले दो वर्षों, अर्थात् 01-03-94 से 29-02-96 तक के लिए योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आय वितरण 13% प्रति वार्षिक की दर से होगा । आय वितरण की राशि मासिक आधार पर देय होगी । 1½ वर्षों की समाप्ति पर अर्थात् जुलाई-अगस्त 1995 में अगले दो वर्षों के लिए लाभांश दर निर्धारित और घोषित की जाएगी । शेष दो वर्षों के लिए यह दर लागू होगा । आय वितरण की दर प्लान की आय पर और अन्य संबंधित कारणों पर आधारित होगी ।

(2) प्रत्येक महीने के लिए आय वितरण अगले माह के आरम्भ में देय होगा और ट्रस्ट द्वारा पूर्व अदायगी व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखाओं में सममूल्य पर आय वितरण वारण्ट या भुनाने योग्य लिखत के माध्यम से भुगतान किया जाएगा ।

ऐसी यूनिटें, जो ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र के अंतर्गत महीने के 15वें दिन या उसके पहले बेची गयी हों, पूरे महीने के आय वितरण की पात्र होंगी और यदि यूनिटें महीने के 15वें दिन या उसके बाद बेची गयी हों, तो केवल आधे महीने के आय वितरण की पात्र होंगी । लाभांश पाने का हक शामिल होने की तिथि पर निम्न रूप में निर्भर करेगा :

03-01-1994 से 15-01-1994---पूरे महीने का लाभांश
16-01-1994 से 31-01-1994---आधे महीने का लाभांश
01-02-1994 से 15-02-1994---पूरे महीने का लाभांश

(3) लेकिन 31 अगस्त 1994 को समाप्त अवधि के लिए आय वितरण एक आय वितरण वारण्ट के रूप में भेजा जाएगा और उसके साथ सदस्य को 29 फरवरी 1996 तक के महीनों के लिए 18 उत्तर दिनांकित आय वितरण वारण्ट भेजे जाएंगे । शेष 2 वर्षों के लिए पुनरीक्षित लाभांश दर निर्धारित करने के बाद यथाशीघ्र 24 उत्तर दिनांकित आय वितरण वारण्ट भेजे जाएंगे । उत्तर दिनांकित आय वितरण वारन्ट प्रेषित करने का अधिकार ट्रस्ट के पास होगा किन्तु, ऐसे सदस्यों के लिए और ऐसी रीति से जो लागू होगा और ऐसी अवधि के लिए जैसा ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किया जाए ।

(4) उप खण्ड (3) के उपबंधों के अधीन मासिक आधार पर आय वितरण के लिये वारंट सदस्य को दो लाट में भेज दिए जाएंगे और वारन्ट इस रूप में दिनांकित किए जाएंगे कि प्रत्येक भुगतान के लिए परिपक्व हो जाए । प्रत्येक वारन्ट 3 महीनों के लिए वैध होगा । वैधता अवधि की समाप्ति के पहले सदस्य के पास वारन्ट न पहुंचने या वारंट के गतावधि होने की स्थिति में ट्रस्ट ब्याज का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा ।

(5) पुनर्खरीद की स्थिति में, जो हमेशा पूर्ण रूप से की जाएगी, सदस्य द्वारा अदत्त वारंट न सौंपने पर, बाद के महीनों के लिए देय वारंट जो परिपक्वता तिथि को उसके पास हो, उनको भुनाने का हकदार होगा और ऐसे आय वितरण वारंट की राशि पुनर्खरीद राशि से काट ली जाएगी ।

(6) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में यदि एकमात्र नामिती पात्र यूनिट धारक है और आगे भी यूनिट रखना चाहते हैं, एकमात्र नामिती को आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के सभी अदत्त वारंट ट्रस्ट को लौटाने होंगे । किन्तु ऐसा नामिती जो आगे भी यूनिट रखना चाहता हो, उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार का ब्याज या क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, जो अवधि मृत सदस्य के पक्ष में पूर्व निर्गत वारंट में सुधार करके नये प्रविष्ट सदस्य के पक्ष में जारी करने में लगेगी ।

(7) किसी आवेदक की मृत्यु की स्थिति में जहां मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया जाता है, वैकल्पिक आवेदक को भावी महीनों के सभी बिना भुनाए गए आय वितरण वारन्ट आवश्यक सुधार के लिए वापस करने होंगे । किन्तु, ऐसा वैकल्पिक आवेदक उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार के ब्याज/क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, जो अवधि मृत आवेदक के पक्ष में पहले से निर्गत वारंट में सुधार करके नये प्रविष्ट आवेदक के पक्ष में जारी करने में लगेगी ।

(8) उप खण्ड में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बचा-स्थिति तिमाही, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर अधिकार सुरक्षित रहेगा चाहे कार्यसाधकता खर्च, सदस्यों को ब्याज आय वितरण के कारण और अन्य परिस्थितियों में ट्रस्ट के लिये ऐसा करना आवश्यक हो जाए। ऐसी स्थिति में ट्रस्ट दो प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा सदस्यों को सूचित करेगा। ट्रस्ट द्वारा उपर्युक्त आशय की अधिसूचना के बाद किसी भी सदस्य को मासिक आधार पर आय वितरण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

बोनस लाभांश : प्लान के अन्तर्गत कोई बोनस लाभांश नहीं दिया जाएगा।

11. परिपक्वता पर पूंजी वृद्धि

इस प्लान में जो भी पूंजी वृद्धि संचित होगी वह आय योजना की समाप्ति पर आदि को घटाकर सदस्यों को वितरित की जाएगी, आदि घटाकर परिपक्वता अवधि तक लगातार बने रहे सदस्यों को वितरित कर दी जाएगी।

12. प्लान में परिवर्धन और संशोधन

समय-समय पर बोर्ड प्लान में कोई भी संशोधन/परिवर्धन कर सकता है, जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

13. प्लान की समाप्ति

28 फरवरी 1998 को प्लान पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। सभी सदस्य जो इस प्लान में इसकी पूरी अवधि के लिए शामिल रहेंगे उन्हें इस प्रयोजन हेतु निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिटों के मूल्य का भुगतान किया जाएगा। रजिस्ट्रार या निर्गम कार्यालय पुनर्खरीद पत्र के साथ सदस्यता सूचना की प्राप्ति से 3 सप्ताह के भीतर, ट्रस्ट सदस्यों को पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान करेगा। निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य के अलावा बाद की अवधि के लिए किसी प्रकार का अन्य लाभ, चाहे पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि के रूप में हो या लाभांश में वृद्धि के रूप में उपचित नहीं होगा। पुनर्खरीद के लिए प्राप्त सदस्यता सूचना और अन्य फार्म निरस्तीकरण के लिए रख लिए जाएंगे।

14. सदस्यों के लिए प्लान बाध्यकारी

समय-समय पर किए जाने वाले संशोधन और परिवर्तन सहित इस प्लान की शर्तें प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जो उसके माध्यम से दावा करता है मानों व्यक्त रूप से बाध्य होने के लिए सहमत हों, के लिए बाध्यकारी होंगी।

15. प्लान के उपबंध योजना के उपबंधों के अधीन होंगे

यूनिटों के अन्तर्गत हित की प्राप्ति के लिए इस प्लान के अंतर्गत अर्जित किसी यूनिट के संबंध में और उनसे संबंधित अन्य मामले और जो जहां अंतर्विष्ट नहीं किये गये हैं "मासिक आय यूनिट योजना-1994 (एम आई यू एस-94)" के उपबंधों के अधीन पढ़े जाएंगे।

16. सदस्यों का लाभ

पूंजी, प्रारक्षित निधि और सरप्लस के संबंध में प्लान में उपचित सभी आय प्लान की समाप्ति के समय केवल उन्हीं सदस्यों को उपलब्ध होंगे, जो प्लान के बन्द होने के समय तक पूरी अवधि तक के लिए यूनिट धारक रहेंगे।

17. प्लान की प्रति उपलब्ध करायी जाएगी

सभी संशोधन सहित इस प्लान की प्रति ट्रस्ट के कार्यालयों में निरीक्षण के लिये पूरे कार्य के समय के दौरान उपलब्ध रहेगी और आवेदन पत्र के साथ पांच रुपये की राशि जमा करने पर किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रति दी जाएगी।

18. उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार

प्लान के किसी भी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर सिर्फ अध्यक्ष या यूटीआई का अध्यक्ष न हो तो कार्य-पालक न्यासी को योजना के उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार रहेगा। किन्तु ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा यह निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा।

19. प्रावधानों का शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन

ट्रस्ट के सिर्फ अध्यक्ष और यदि ट्रस्ट का अध्यक्ष न हो तो कार्य-पालक न्यासी, कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या प्लान के निर्बाध और सहज परिचालन के लिए प्लान के किसी उपबंध को शिथिल, परिवर्तित या संशोधित कर सकते हैं बशर्ते कि किसी यूनिट धारक या यूनिट धारकों के वर्ग के लिए ऐसा करना उचित समझा जाए।

सं. यूटी/जीबीडीएम/91 ए/एसपीडी-71 ई/93-94—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 19(1) (8) (सी) के अंतर्गत निर्मित मासिक आय यूनिट प्लान 1994 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई मासिक आय यूनिट योजना 1994 के प्रावधान में किये गये संशोधन, जो 6 दिसम्बर 1994 को हुई बैठक में कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किये गये हैं, इसमें नीचे प्रकाशित किये जाते हैं ।

सुधा पिल्लै
स्टाफ अधिकारी
व्यवसाय विकास और विपणन विभाग

अनुबंध

मासिक आय यूनिट प्लान/योजना 1994 के उपबंधों में किये गये संशोधन निम्नलिखित हैं :

1. प्लान और योजना के उपबंधों में "यूनिट के लिये आवेदन पत्र" से संबंधित खण्ड IV (3) को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है :

"मासिक आय विकल्प से संबंधित आवेदन न्यूनतम 500 यूनिट के लिये और उसके बाद 50 यूनिट के गुणक में किये जाएंगे । इसी प्रकार संचयी विकल्प में आवेदन न्यूनतम 200 यूनिट के लिये और उसके बाद 50 यूनिट के गुणकों में किये जाएंगे । किसी भी विकल्प में कोई अधिकतम सीमा नहीं है ।"

2. "यूनिट की पुनर्खरीद" संबंधी खंड VI में निम्नलिखित योजना और प्लान के उपबंधों में उपखंड 7 के रूप में जोड़े जाएंगे :

संचयी विकल्प

संचयी विकल्प के मामले में इसमें उपर संबंधित खंड में यथाविनिर्दिष्ट रूप में ऐसी पुनर्खरीद की स्थिति में प्रशासनिक खर्च, जो अंकित मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगा, और मासिक आय विकल्प के अंतर्गत प्रदत्त लाभांश के बराबर प्रतिकर को काट कर दूसरे वर्ष यूनिट की खरीद सममूल्य पर करेगा । दो वर्ष पूरा होने पर (अर्थात ट्रस्ट के साथ सदस्यों के लिये, 29-02-1996 तक) यूनिट की पुनर्खरीद प्रति यूनिट रु. 12.95 पर की जाएगी । तीसरे वर्ष से (अर्थात् 01-03-1996 से) यूनिट की पुनर्खरीद अंकित मूल्य के 2% तक प्रशासनिक व्यय और प्रतिकर जो इसमें उपर संबंधित खंड में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी पुनर्खरीद की स्थिति में मासिक आय विकल्प के अंतर्गत प्रदत्त लाभांश के बराबर होगा, काटकर सम-मूल्य पर की जाएगी ।

3. "सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन" शीर्ष से संबंधित प्लान के उपबंधों में खंड IX (6) में और योजना के उपबंधों में खंड XX (6) में निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाता है :—

"अवरुद्ध अवधि में संचयी विकल्प में शामिल किसी एकल सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर दावे का निपटान कर देगा और संबंधित खंड(डों) में यथावर्णित पुनर्खरीद मूल्य या ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णित अन्य प्रकार से निकाली गई राशि का भुगतान विधिक उत्तराधिकारी/नामिति को कर देगा ।"

4. प्लान के उपबंधों में "आय संवितरण" संबंधी खण्ड X और योजना के उपबंधों के खंड XXII में प्रथम पैरा में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

"सदस्य को मासिक आय विकल्प या संचयी विकल्प में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार होगा । यह योजना में निवेश करते समय किया जाएगा और एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा ।"

उप खंड 2 में निम्नलिखित जोड़े जाएंगे :

यदि आवेदक संचयी विकल्प में शामिल होता है, तो 28 फरवरी 1994 तक की अवधि के लिए एक समंकित वारन्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

उपखंड (9) में निम्नलिखित जोड़े जाएंगे :

संचयी विकल्प—इस विकल्प में शामिल होने के अपने अधिकार का प्रयोग करने वाले सदस्य हेतु प्रथम दो वर्षों के लिये उनके निवेश पर 13% वार्षिक की दर से मासिक हिसाब निकाला जाएगा । शेष दो वर्षों के लिए लाभांश दर 1½ वर्ष की समाप्ति पर मासिक आय विकल्प के लिये घोषित दर से 0.5% अधिक होगी और उस दर पर मासिक हिसाब लगाया जाएगा ।

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 2nd January 1994

No. SBD. No. 1/1994.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has, in consultation with Reserve Bank of India, nominated Prof. Karam Singh, 42-G, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana-141 001, as director on the Board of Directors of State Bank of Patiala for a period of three years with effect from 10th January 1994 to 9th January 1997 (both days inclusive) in place of Prof. G. S. Arshi.

D. BASU
Chairman

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700 016, the 23rd November 1993

No. 16-CWR(1154)/93.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the name of Shri V. H. Agashe, BA, BCOM, AICWA, D/3, Shree Sadhana Society, Tejpal Scheme Main Road, Vile Parle (E), Bombay-400 057 (Membership No. 2822), with effect from 23rd November, 1993, at his own request.

11-CWR(139)/93.—In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificate of Practice granted to Shri Vineet Kapoor, B Com (HONS), AICWA, Post Box No. 11464, 10/1/A, Principal Khudiram Bose Rd., Calcutta-700 006, (Membership No. 11981 is cancelled from 8th October 1993 to 30th June, 1994, at his own request.

S. R. ACHARYYA
Secretary

No. 16-CWR(1162-1166)/93.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of (1) Shri G.V.G. Somayajulu MCOM, LLB, AICWA, B-1/3, Labony Estate Salt Lake, Calcutta-700 064 (Membership No. 7850), with effect from 9th November 1989, (2) Shri M. S. Chhabra, MA, AICWA, House No. 193-A, Street No. 31, Sayam Sector, Smriti Ngr., Durg-491 002 (Membership No. 3420), with effect from 4th May 1993, (3) Shri S. S. Biradar, BE, AICWA, Ex-Materials Manager, Hutti Gold Mines Co. Ltd., Hutti-584 115, (Membership No. 9786), with effect from 16th October 1992, (4) Shri G. S. Bhalla, AICWA, 4715, Guru Nanakwara, Near Khalsa College, Amritsar-143 002 (Membership No. 1675), with effect from 10th September 1993, (5) Shri S. Srikaran, BCOM, ACA, AICWA, C-99, HAL Colony, Balanagar, Hyderabad-500 042 (Membership No. 10272), with effect from 30th July, 1993, on account of death.

S. R. ACHARYYA
Secretary

No. 18-CWR(280)/93.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the name of Shri Kasinath Balasubramanian, BCOM, ACA, AICWA, 2/4, Chandralok Apts., 390, Gokhale Nagar Road, Pune-411 016 (Membership No. 3870), with effect from 7th September 1993.

S. R. ACHARYYA
Secretary

The 28th December 1993

No. 18-CWR(281)/93.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the name of Shri Sain Ditta Mal Nagpal, BA (HONS), MA (ECON), AICWA, Dy. General Manager (F&A), Steel Authority of India Ltd., Bhilai Steel Plant, Bhilai-490 001 (Membership No. 2667), with effect from 24th November, 1993.

11-CWR (140)/93.—In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificate of Practice granted to Shri J. Bhowmik, BCOM (HONS), ACMA, ACA, AICWA, Maya Bhavan, Vivekananda Road, Jadavpur East, Calcutta-700 075 (Membership No. 4777) is cancelled from 15th December 1993 to 30th June, 1994, at his own request.

S. R. ACHARYYA
Secretary

REGIONAL OFFICE ORISSA

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

Bhubaneswar-7, the 28th December 1993

Sub : Reconstitution of Local Committee, Barang, District Cuttack in the state of Orissa under E.S.I. Scheme.

No. 44-V-34/12/9/82-Bft.—It is hereby notifffied that the Local Committee, Barang Area in District of Cuttack and in the state of Orissa has been reconstituted with the following members under Regulation 10-A of the E.S.I. (General) Regulation, 1950 with effect from the date of issue of notification.

Chairman

1. Under Regulation 10-A (1) (a)
The Deputy Labour Commissioner,
Cuttack.

Member

2. Under Regulation 10-A (1) (b)
The District Labour Officer,
Cuttack.

Ex-Officio Member

3. Under Regulation 10-A (1) (c)
Insurance Medical Officer-in Charge of E.S.I. Dispensary, Barang.

4. Under Regulation 10-A (1) (d)
Employer's Representatives

Member

(i) Shri K. K. Panigrahi,
Senior Personnel Officer,
Orissa Industries Ltd,
Barang.

(ii) Shri B. B. Pattnaik,
Personnel Officer,
Shree Durga Glass Private Ltd.,
Barang.

5. Under Regulation 10-A (1) (e)
Employees' Representatives.

(i) Sri Bairagi Sahoo,
Joint Secretary,
Barang Shramik Sangha,
Barang.

(ii) Sri Krushna Chandra Paikrai,
Joint Secretary,
Barang Shramik Sangha,
Orissa Industries Limited,
Barang.

Member and Ex-Officio Secretary

6. Under Regulation 10-A (1) (f)
The Manager,
Local Office,
E.S.I. Corporation,
Barang.

B. K. SAHU
Regional Director

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION (CENTRAL OFFICE)

New Delhi-110001, the 5th January 1994

No. CPFC.1(4)/AP(683)/93/01—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers & the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & Address of the Estts.	Date of coverage
1.	AP /24063	M/s. Satyam Corporate Group, Mayfair Centre, S. P. Road, Secunderabad-500003.	1-10-1992
2.	AP/24157	M/s. Mahavir Brothers, 5-9-1115/C, Kanchenjunga, Complex, King Kothi Road, Hyderabad-500001.	1-7-1992
3.	AP/24164	M/s. Kris Engineers (P) Ltd., B-30, AIE, Ramachandrapuram, Hyderabad-500032 including branch.	1-4-1993
4.	AP/24016	M/s. Unicorn Agrotech Ltd., 1-7-139/3, Sarojini Devi Road, Secunderabad-500003.	1-9-1992
5.	AP/24135	M/s. Bapu Tooling Packages (P) Ltd., C-5, Sanath Nagar Industrial Estate, Hyderabad including branch.	3-3-1993
6.	AP/24136	M/s. K. S. Enterprises, 6-40, Main Road, Fatehnagar, Hyderabad-500018.	1-9-1991
7.	AP/21497	M/s. Vivekananda Jr. College & Public School, Tenali, Guntur.	1-9-1992
8.	AP/24112	M/s. Babukhan Estate Building Owners' Association, Maintenance Office, Cellur, Babukhan Estate, Bashirbagh, Hyderabad-500001.	1-7-1992

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the 'said establishments'.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C.1(4) /KR/(687)/93/10—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely ;—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	KR/14002	M/s. Kairali Harijan Weavers Industrial (Workshop) Co-op. Society Ltd., No. H. L. Ind. (C) 46, Keecheri, P. O. Pappinisseri, Kannur (Dt.)	1-4-1993
2.	KR/14003	M/s. Sree Guruvayoor Bus Service, P. O. Kappad, Kannur-6.	1-4-1993
3.	KR/13549	M/s. Bhuvaneswari Temple., Chinmaya Mission Educational & Cultural Trust, Neeranjali, Round North, Thrissur.	1-6-1991
4.	KR/12633	M/s. Hindi Vidhya Pitha (Kerala) Ambujavilasom Road, Trivandrum-695001.	1-5-1993

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC.1(4)/DL/(699)/93/94—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) , should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Coce No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1.	DL/11751	M/s. Ravika Industries, WH-63, Phase-I, Mayapuri Industrial Area, New Delhi.	1-11-1989
2.	DL/14366	M/s. New India Structure Pvt. Ltd., L-36 B, Malviya Nagar, New Delhi-17.	1-4-1992
3.	DL/15220	M/s. Rozgar Service, Agency, H. No. 9, Vill. & P. O. Mungesh Pur, Delhi-39.	1-3-1993
4.	DL/11913	M/s. The Piercing Eyes, 20/22, West Patel Nagar, New Delhi-110008.	1-12-1989

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC.1(4)/MH(700)/93/17—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers & the majority of the employees is relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1.	MH/29371	M/s. Pandurang V. K. Sah (Vikas) Seva Sanstha Maryadit, Kasba Bld., Tal. Karvir, Distt. Kolhapur.	1-11-91
2.	MH/36930	M/s. Maharashtra State Electricity Board Employees, Co-op. Society Ltd., Takiya Road, Rajgopalachari Ward, Bhandara.	1-4-90
3.	MH/60255	M/s. Chandrapur Mahasagar, Ganj Ward, Chanderpur including branches.	1-1-91
4.	MH/60438	M/S. Sankalp Marketing & Management Services, Shakti Off-Set Building, wardha Road, Nagpur.	1-8-91
5.	MH/39254	M/s. Shri Krishna Marketing, Tulsiram Gupta Millas Estate, Ready Road, Bombay-400010 (including branches).	1-8-92

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

S.O. No. CPFC.1(4)/MH(708)/93/22—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers & the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions, Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the estts.	Date of coverage
1.	MH/39333	M/s. Roshan Industries, A/101, Kanti Apartment, Mount Mary Road, Bandra (West), Bombay-400050.	1-4-1993
2.	MH/29451	M/s. Baburaoji Mahajan Nagri Sahakari Path Sanstha Ltd., Konawade, T. A. Bhudargadh, Distt. Kolhapur.	1-4-93
3.	MH/29452	M/s. Janata Kukut Palan & Dudh Vyavasaya Sahakari Sanstha Ltd., Uttar, T. A. Ajara, Distt. Kolhapur.	1-1-1993
4.	MH/60645	M/s. Centre for Industrial Security & Fire Service, Bhaji Mandi, Juni Shukrwari, Nagpur.	1-5-1992
5.	MH/60853	M/s. Shri Kanyaka Nagari Sahakari Bank Ltd., Balaji Market, Chandrapur-442402 (M.S.)	1-10-1992
6.	MH/38524	M/S. Treasure Tours & Travels Pvt. Ltd., 216, Maker Chambers V, Nariman Point, Bombay-400021.	1-4-1992

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 1(9)/GJ(710)/93/27—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely ;—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1.	GJ/23940	M/s. Chandlodiya Majoor Kamdar Sahakari Mandli Ltd., 179, Ambica Krupa Society, Ranip, Ahmedabad-382480 including branches.	1-11-1991
2.	GJ/23887	M/s. Laffans Petrochemicals Ltd., 321, G. I. D. C., Panoli Distt., Bharuch, Ankleshwar including branch.	1-4-1993
3.	GJ/23927	M/s. Sanjay Engg. Construction Co., 48/9, G. I. D. C., Kalol, North Gujarat.	1-4-1993

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC.1(4)GJ(719)/93/31—Whereas it appears to the Central provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely ;—

S. No.	Code No.	Name & Address of the estts.	Date of coverage
1.	GJ/23306	M/s. Cambatta Technical Services Pvt. Ltd., Cambatta Central Bharat Bobbins, Ltd., Premises, Rakhial Road, Ahmedabad-380023.	April, 1992
2.	GJ/23933	M/s. Pest Control Enterprises, 522/2, Saroj Mension, Outside Panchkuwa Gates, Ahmedabad-380002 including branches.	1-4-1993
3.	GJ/23914	M/s. Mul Dentpro Pvt. Ltd., Plot No. 722, Somnath Road, Village, Dabhel, Nani Daman-396210.	1-7-1992

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C.1(4)/KN (722)/93/34—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely ;—

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of coverage
1.	KN/15815	M/s. S. S. Security Systmes, No. 18, 6th Cross, Lakshmi Road, Shanthi Nagar, Bangalore-560027.	1-3-1993
2.	KN/15883	M/s. Spurthi Diagnostics Pvt. Ltd., Ist Floor, Blue Cross Chambers, Infantry Road Cross, Bangalore-I.	1-3-1993
3.	KN/15339	M/s. T. M. P. L. Machines, 59, Millers Road, Benson Town, Bangalore-46 including branches.	1-10-1992
4.	KN/12489	M/s. Hotel Amblee Palika, 4724, Race Course Road, Hassan-573201, Karnataka.	28-2-1990
5.	KN/15298	M/s. Astral Chemicals, H.M.T. Layout, Dasappa Garden, R. T. Nagar, Ganganahalli, Bangalore-52, Present address No. 45, Cellar Flash Floor, Opp. Vasanthanagar, Foto Millers Road, Vasanthanagar, Bangalore-52.	1-6-1992

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC.1 (4) TN (695)/93/40—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of coverage
1	2	3	4
1.	TN/25907	M/s. ED 544, Kallumadai Milk Producers Co-op. Society Ltd., Kolappalur Post, Govi Chettipalayam Taluk-638456, Periyar Distt. Tamil Nadu.	1-1-1993
2.	TN/25905	M/s. ED 1346, S. Ganapathypalayam Milk Producers Co-op. Society Ltd., S. Ganapathypalayam Pudukaraipudur Post, Govichettipalayam Taluk, Periyar Distt-638313.	1-12-92
3.	TN/25904	M/s. E. D. 1390, Chettiampalayam Milk Producers' Co-op. Society Ltd., Nagadevampalayam Post-638476, Gobichettipalayam Taluk, Periyar Distt.	1-9-1992.
4.	TN/25903	Ms/. E. D. 641, Kugalur Milk Producers' Co-op. Soiesty Ltd., Kugalur Post, Govichettipalayam Taluk, Periyar Distt. (TN).	1-6-92
5.	TN/25902	M/s. E. D. 642, Thalai Kombupudur Milk Producers Co-op. Society Ltd., Thalai Kombupudur, Kugalur Post, Govichettipalayam Taluk, Periyar Distt.-638313 (TN)	1-9-1992
6.	TN /29064	M/s. A-1123, Palavanatham Primary Agricurtural Co-op. Bank, Palavanatham,Virdhunagar Taluk, Kamarajar Dt. (TN)	1-3-93
7.	TN/29063	M/s. Reinco Construction Company, 30, Tamil Sangam Road, Madurai-625001.	1-1-1993
8.	TN/23660	M/s. Jolarpet Milk Producers' Co-op Society Ltd., Jolarpet, N. A. A. Distt.	1-12-89
9.	TN/30399	M/s. Indu Steels, 60, Pandian Street, Prakash Nagar, Madras-53.	1-9-90
10.	TN/30411	M/s. Vazhiyur Milk Producers Co-op Society Ltd., Vazhiyur Vill. & Post, Polur Taluk, T. S. Distt.	1-2-1993

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 11(4) TN(697)/93/45—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & addres of the estts	Date of coverage
1.	TN/29049	M/s. Towels India. . . . . 8/1, M K. Lane, Mahal IIIrd Street. Madurai-I	1-12-92
2.	TN/23303	M/s. Chandamama Vijaya Combines, ... Chandamama Buildings, Vadapalari, Madras-26.	1-2-89
3.	TN/26262	M/s. Shanthi Printers, ... 36, Rajaji Road, Tambaram West, Madras-45.	1-4-91
4.	TN/29138	M/s. RS-767, Mallal Primary Agriculture Co-op. Bank, . . Satharasankottai-623561, Tamil Nadu.	1-5-93
5.	TN/27623	M/s. Raja Security Services, ... 169-B, Ganesapuram, Trichy-14.	1-6-92
6.	TN/27701	M/s. Ananda Silk Centre, ... N.S.B. Road, Trichy-2	1-4-92

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 11(4) KR(698)/93/50—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the empoyers & the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of coverage
1.	KR/12636	M/s. Southshore Ice creams Pvt. Ltd., ... 4/2554, Pattom Kawdiar Road, Kuravankonam, Pattom P.O. Trivandrum-695 004.	1-2-93
2.	KR/12635	M/s. General Electronics Services, ... Main Road, Kollam-1.	1-4-93
3.	KR/11993	M/s. Boss Lines Bus Service, ... Madakkal House Santhi Nagar, P.O. Parappur, Kottakkal, Malappuram District.	1-1-93
4.	KR/12642	M/s. National Industrial Security Service Agency, . . Kanjiracode, Kundara P.O., Kollam.	1-1-93
5.	KR/12629	M/s. The Ex-Service Men's Intelligent Security Guards. . . Mangattukadavu, Thirumala P.O., Trivandrum-695006.	1-2-93

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC.1(4) MH(707)'93/54—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estts	Date of coverage
1.	MH/50067	M/s. Guru Electronics, 227, Deepak Mahal, Devlali Camp-422401.	30-11-90
2.	MH 50081	M/s. M.D. Shirasat Labour Contractor, 198, Shivaji Road, St. Thomas Church, Nasik-422001	31-10-90
3.	MH/50032	M/s. Techno Force (I) Pvt. Ltd., D-34, M.I.D.C. Industrial Area, Ambad, Nasik-422010 including branch.	1-4-90

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B.N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B.N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC.1(4) MH(711)/93/58—Whereas it appears to the Central provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of coverage
1.	MH/37973	M/s. Creative Motors, "SHIRAZ", Teli Park Road, Andheri (East), Bombay-400069 including branch.	1-11-90
2.	MH/39296	M/s. Power Equipment & Services, B-I, Rainbow Industrial Estate, Opp. James Engineering Co., Vyarawoli, M.I.D.C., Andheri Bombay-400093 including branches.	1-4-93
3.	MH/38901	M/s. Good Knight Communications Ltd., 126, Creative Industrial Building, Sundernagar, Kalina, Bombay-400098 including branches.	1-8-92
4.	MH/38275	M/s. Shark Sports, 24/C, Sarvodaya Bhavan, Gokhale Road (North), Dadar, Bombay—400028.	1-7-91
5.	MH/60918	M/s. Samruddhi Printers Pvt. Ltd., 212, Laxmi Niwas, Opp. Aradhana Complex, Gokulpeth, Nagar-440010.	1-4-93
6.	MH/39354	M/s. Sangameshwar Taluka Kunbi Sahakari Patpedhi Ltd., Parel Village, Bombay-400012.	1-1-93
7.	MH/60771	M/s. H.P. Salve Chartered Accountant, Near Vishvabharti Typing Institute, Main Road, Sitabuldi, Nagpur.	1-9-92

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, I, B N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B.N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 1(4)/KR(713)/93/63—Wheeas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers & the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of coverage
1.	KR/12652	M/s. Unique Tread Industrial Development Area, Kochuveli Trivandrum-21.	1-6-93
2.	KR/12650	M/s. Kulathoor Udaya Handloom Weavers' (P & S) Co-op. Society Ltd., No. H. 187, Kulathoor P.O., Thiruvananthapuram including branches	1-7-93
3.	KR 12649	M/s. Prodigy Plastics Pvt. Ltd., Musaliar Building, Chinnakkada Kollam, including branch.	1-7-93
4.	KR/12648	M/s. Reliance Security Agency, Prem Building, Near S.N.D.P. Union Office, Karunagppally, Kollam-690518 including branches.	1-6-93
5.	KR/12647	M/s. Poruvazhy Harijan's Handloom Weavers Industrial Co.-op. Society Ltd., No. QH-10 Poruvazhy P.O., Sasthamcotta, Kollam.	1-1-93
6.	KR/12645	M/s. Thiruvananthapuram Government Model High School Parent Teacher Association, Thycaud, Thiruvananthapuram-695014.	1-7-93
7.	KR/13338	M/s. Techno Fab Erectors, V/316, Shrayas Buildings, North Kalamassery-683104.	1-3-91

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act I, B.N. Som Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

(B.N. SOM),
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 1(4)/MH(715)/93/67—Whereas it appears to the Central provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees" Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of coverage
1	2	3	4
1.	MH/50160	M/s. Godavari Marketing Services Pvt. Ltd., 'Sai Smruti, 33-E, Magh Sector, Sunderban Colony, CIDCO, Nashik-422009 including branch.	31-3-91
2.	MH/50228	M/s. Auto Fits, H-33, M.I.D.C. Satpur, M. Nasik-422007, including branch.	31-12-91
3.	MH/50111	M/s. Bharati, Post, Pimplad, Nashik.	31-10-90
4.	MH/50202	M/s. Jalagaon Zilla Maharashtra Rajya Vidyut Mandal Abhiyanta Sahakari Patpethi Ltd., Bhusawal Dist. Jalgaon.	31-3-91

1	2	3	4
5.	MH/50129	M/s. Ordance Factory Employees" Co-op. Credit Society Ltd., Bhusawal, Dist. Jalgaon.	31-12-90
6.	MH/50205	M/s. Krishna Research & Breeding Farms Pvt. Ltd., Plot No. 156/157, Shivgiri Colony, H.P.T. College Road, Nashik-422005 including branches.	31-3-91
7.	MH/50107	M/s. B.M. Adhangale (Labour Contractor), Ambedkar Chowk, Satpur, Nashik-8.	31-10-90
8.	MH/29338	M/s. Valley View Resort, Valley Road, Near Market, Mahabaleswar, Dist. Satara.	31-1-91

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 1(4)/TN(727)/93/71—Whereas it appears to the Central provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees" Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely;—

S. No.	Code No.	Name & Address of the estts.	Date of coverage
1.	TN/30608	M/s. Mipalloy, Plot No. 56-A, Off. III Cross Street, Nehru Nagar, Perungudi, Madras-41 including branches.	1-6-93
2.	TN/30547	M/s. Dayry Engineering Services (P) Ltd., 44-A, N.P. Developed Plots, Thiru-Vi-Ka Industrial Estate, Ekkattuthangal, Madras-97 including branches.	1-4-93
3.	TN/30571	M/s. Lonestar Industries, 120/134, Angappa Naicken Street, Madras-1 including branches.	1-6-93
4.	TN/30597	M/s. Kims Leathers,Tannery, 4/124, Vanapadi Road, Ranipet, N.A.A. Dist	1-7-93
5.	TN/30599	M/s. V. Shunmugasundaram Steel Fabrication, Erection & Civil Contractor, 35, Ebrahim Sahib Street, Madras-1.	1-7-93
6.	TN/30213	M/s. Railway Bala Bhavan Matriculation School, Pananthope Colony, Ayanavaram, Madras-23.	1-6-92
7.	TN/28042	M/s. Jayalakshmi Marketing Ltd., Subramania Commercial Complex, Avanashi Road, Coimbatore-18, including branch.	1-5-93
8.	TN/28053	M/s. K K. 364, Karimangalam Primary Agricultural Agriculture Co-op. Bank Ltd., Karimangalam.	1-6-93
9.	TN/28037	M/s. Sri Mani Transports, 40/C, Dharapuram Road, Tirupur-8.	1-4-93
10.	TN/28051	M/s. Panther Dectective & Security, 6C, Bose Bazar, Hosur-9.	1-1-93

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110 001, the 5th January 1994

[File No. FP-1(14)/93/STC]01.—WHEREAS M/s. The state Trading Corporation of India Ltd., Jawahar Vyapar Bhavan 1, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001 has forwarded an application(s) in respect of its employees Sh. S. Ramaswamy Code No. DL/791/Relexed/7095 for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 under Section 17(1-C) of Employees Provident Funds & Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner am satisfied that the benefits in the nature of Family Pension under the Government of India Pension Rules (e.c. Pension Rules) applicable to this individual employee of the said establishment are more favourable than the benefit provided under the Employees Family Pension Scheme, 1971.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1-C) of Section 17 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt, the above said individual employee of the said establishment who was under the employment of the Central Government before absorption in the above establishment and was governed by the C.C.S. Pension Rules, from the operation of all provisions of the Employees Family Pension Scheme, 1971 with effect from the date of issue of the Notification or from the last date of service of the employee who retired after exercising option from 22-1-90 to 21-7-90 in terms of Government orders dated 22-1-90 on the following terms and conditions :

1. these employees will not be entitle to or claim any benefit(s) under the Employees' Family Pension Scheme 1971 from the date of exempt on.

2. Option once exercised for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 will be irrevocable.

3. The employer in relation to each of the said employee shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

MINISTRY OF LABOUR
(EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION)

New Delhi-110 001, the 10th January 1994

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/229.—WHEREAS The employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of said establishment further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt,s Notification vide which exemption was granted, extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended.	C.P.F.C.,s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s Aregyavaram Eye Hospital, Sompeta, Distt. Srikakulam.	AP 4502	2/1959 DLI/Exemp/89 Pt. I dated 18-1-91	30-6-92	1-7-92 to 30-6-95	2/3335/90-DLI
2.	M/s Sri Venkata Balaji Jute Mills (P) Limited., Amadala Valasa-532185 Sri Kakulam Distt.	AP 16396	2/1959/DLI/Exemp 89/Pt. I dated 23-1-92	31-12-92	1-1-93 to 31-12-95	2/3903/91-DLI
3.	M/s Neelam Jute Pvt. Ltd, Lakshmi Nilayam, Chinna Baratam Street.	AP 17361	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 16-2-91	31-10-92	1-11-92 to 31-10-95	2/3369/91-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under Clause (a) Sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of Premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/237.—WHEREAS The employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM hereby exempt each of said establishment further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & address of the establishment	Code No.	No. & date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. G.P. Cotton & Oil Products Ltd. (Oil Div.) Ganapavaram-522619 Guntur Distt.	AP/13606	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I 408 dated 29-1-92	31-3-92	1-4-92 to 31-3-95	2/4387/92-DLI
2.	M/s Friends Shoe Company, Mallikayuna Street, Hanumanpet, Vijaywada-520003.	AP/13679	2 1959/DLI/Exemp/89 Pt. 1	31-1-93	1-2-93 to 31-1-96	2/4630/92-DLI

1	2	3			4
3.	M/s Bapatta Engineering College Bapatla-522101.	AP/16525	2/1959/DLI/Exemp/89 Pt. I	31-8-92	1-9-92 to 31-8-95	2/4333/92-DLI
4.	M/s Andhra Pradesh Heavy Machinery & Engineering Limited, V.H.R. Shopping-Cum-Office Complex, 2nd Floor, Governorpet, Vijayawada-520002 (A.P.)	AP/5864	2/1959/DLI/Exemp/89	27-11-92	28-11-92 to 27-11-95	2/960/83-DLI

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11 In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/181.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefit's admissible under 'the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned establishment of Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the RPFC Goa from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Auto Service, Joshi Building, P.B. No. 39, Vasco da Gama—Goa.	Goa/9782	1-10-92 to 30-9-95	2/5199/DLI
2.	The Goa State Co-op. Bank Ltd., Head Office, P.O. Box No. 183, Dayanand Smriti, Swami Vivekanand Road, Panaji, Goa.	Goa/9809	1-9-90 to 31-8-93	2/5200/93
3.	M/s. India Resort Hotels Ltd., Sinquerim, Bardez, Goa.	Goa/10010	1-3-92 to 28-2-95	2 5201/93
4.	M/s. Goa Capacitors Pvt. Ltd., 14, Corlim Industrial Estate, Corlim, Ilhas-403110.	Goa/10103	1-7-92 to 30-6-95	2/5202/93-DLI
5.	M/s. Drogaria Colvalcar Drug House, Mapuca—Goa-403507 alongwith branches.	Goa/10109	1-1-92 to 31-12-94	2/5203/93
6.	M/s. Foremost Frozen Foods, New Vaglo Building, Dada Vaidya Road, Panaji—Goa-403001.	Goa/10253	1-1-91 to 31-12-93	2/5204/93-DLI
7.	M/s. Atreya Engineering Works, Damodar Chambers, 2nd Floor, No. 204, Opposite Syndicate Bank Vasco-da-Gama, Goa.	Goa/10270	1-3-92 to 28-2-95	2/5205/93
8.	M/s. V.G. Quenim Keni Building, Dr. Dada Vaidya Road, Panaji—Goa-403001.	Goa/10282	1-2-92 to 31-1-95	2/5206/93-DLI
9.	M/s. New Era Barges Pvt. Ltd., Vasco-da—Gama, Goa.	Goa/10317	1-3-92 to 28-2-95	2/5207/93-DLI

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Schemes appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendnment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life. Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/189.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned establishment of Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the RPFC Baroda from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. The Baroda Commercial Corporation Ltd., "JAI BAUG" Bunglow, University Road, Baroda-390002.	GJ-2337	1-4-93 to 31-3-96	2/5331/93-DLI
2.	M/s. Welcomgroup, Vadodara, R.C. Dutt Rd., Baroda-390005 (India).	GJ-17531	1-6-93 to 31-5-96	2/5332/93-DLI

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the nominee(s) /legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9 Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employee under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of Premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) /legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) /legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt I/197 – WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Setion 2(A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the RPFC Gujarat from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Stadford Paper Mills Pvt. Ltd., P.O. Village Dungra, Via-Vapi (R.S.) Distt-Valsad Gujarat.	GJ-3356	1-2-92 to 31-1-95	2/5300/93-DLI
2.	M/s. Gandhi Nagar Distt. Coop. Milk Producer's Union Ltd., Sector-25, 'K' Road, Nr, G.I.D.C. Electronic Estate, Gandhi Nagar.	GJ/3567	1-4-92 to 31-3-95	2/5301/93-DLI
3.	M/s. Austin Engg. Co. Ltd., 101, G.I.D.C. Estate, Vadal Road, Junagadh-362003 Gujarat.	GJ/11295	1-1-93 to 31-12-95	2/5302/93-DLI
4.	M/s. Austin Engg. Ltd., Unit-II, Patla, Village Patla, Tal. Bhesan, Distt. Junagarh.	GJ/11295-A	1-1-93 to 31-12-95	2/53021/93-DLI
5.	M/s. Gujarat Lease Finance Ltd., Hasubhai Chambers, Opp. Town Hall, Ellisbridge, Ahmedabad-6	GJ/10601-D	1-1-88 to 31-12-90	2/3356/91-DLI

1	2	3	4	5
6.	M/s. Ambuja Metal Industries (P) Ltd., Midco Containcers, Nr. Jain Temple, Vatva, Ahmedabad.	GJ/12293	1-3-89 to 28-2-92	2/5340/93-DLI
7.	M/s. Systems Dynamics, 1, Dipti, Bank of India Society, Gulbhai Tekra Road, Ahmedabad-380 006.	GJ/14215	1-12-91 to 30-11-94	2/5341/93-DLI
8.	M/s. Transformers and Rectifiers, 233, Gujarat Vepari Maha Mandal, Indns Estate, Odhav, Ahedabad-382410.	GJ/19190	1-1-93 to 31-12-95	2/5339/93-DLI
9.	M/s. Tarun Engineering Works, Prop. Tarun Stamping Pvt. Ltd., Saga Compound, Opp. Railway Station, Ahmedabad, Distt. Kheda.	GJ/19133	1-3-93 to 28-2-96	2/5344/93-DLI
10.	M/s. S.R. Intermediates Pvt. Ltd., 121/123, GIDC Indl. Estate, Odhav, Ahmedabad-382415.	GJ/10319	1-3-93 to 28-2-96	2/5340/93-DLI
11.	M/s. Himson Textile Engineering Ltd., Hiralal Colony, Ashwani Kumar Road, Surat.	GJ/8430	1-5-91 to 30-4-94	2/5331/93-DLI
12.	M/s. Precision Foundry and Engineering Co., 7, GIDC, Estate Vallabh Vidya Nagar, Distt; Kheda (Gujarat).	GJ/7791	1-2-91 to 31-1-94	2/5342/93-DLI
13.	M/s. Vimal Electric Co., 31, GIDC, Industrial Estate, Mehsana-384002. (N G.)	GJ/7386	1-8-88 to 31-7-91	2/5328/93-DLI
14.	M/s. Vishal Maleables Ltd., 85/2, GIDC Indl. Area, Ankleshwar-393002.	GJ/9520	1-2-90 to 31-1-93	2/5327/93-DLI
15.	M/s. Premier Engg. Works, 4, Udyognagar, Surendra Nagar, Gujarat.	GJ/11291	1-2-90 to 31-1-93	2/5326/93-DLI

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/205.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments in schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the RPFC Gujarat from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's. File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Ahmedabad Textile Industry Research Association, P. O. Polytechnic, Ahmedadad-380015.	GJ/2650	1-12-92 to 31-11-95	2/5208/93—DLI
2.	M/s. The Ahmedabad Mercantile Co-op. Bank Ltd., Mumtaz Mahal Zakaria Masjid Relief Road, Ahmedabad-380001.	GJ/4678	1-3-90 to 28-2-93	2/5209/93—DLI
3.	M/s. Remik Trading Corporation, Praful Nivas, Elisbridge, Ahmedabad-380006.	GJ/5857-A	1-11-89 to 31-10-92	2/5211/93—DLI
4.	M/s. Excel Industries Ltd. 612, Ruvapuri Road, Bhavnagar-364005.	GJ/5250	1-8-92 to 31-7-95	2/5210/93—DLI
5.	M/s. Gujarat Fisheries Development Corporation, Ltd. Patel Building, Opposite M. J. Library, Ellisbridge, Ahmedabad-380006 including branches.	GJ/6651-G	1-12-89 to 30-11-92	2/5212/93—DLI
6.	M/s. Gujarat State Seeds Corporaton Ltd. Beej Bhavan, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010.	GJ/10278	1-6-89 to 31-5-92	2/5213/93—DLI
7.	M/s. Forge & Forge Ltd., Ahmedabad Road, Rajkot-360003.	GJ/10501	1-3-90 to 28-2-93	2/5214/93—DLI

1	2	3	4	5
8.	M/s. Shree Sardar Vallabhbhai Patel Regional Oil Seeds Grower's Co-op. Union Ltd., Opposite G.E.B. Sub-Station, Idar-384430.	GJ/14119	1-2-93 to 31-1-96	2/5215/93—DLI
9.	M/s. Sanrel Rasoyans . . . . . Pratal Nivas, Panchvati Ellisbridge, Ahmedabad-380006 including branches.	GJ 14279	1-11-89 to 31-10-92	2/5216/93—DLI
10.	M/s. Sethi Industrial Gases (Guj.) Pvt. Ltd. . . . I-2, G.I.D.C. Industrial Estate, Opposite Bank of Baroda, Odhav, Ahmedabad-382415.	GJ/15836	1-3-89 to 29-2-92	2/5217/93—DLI
11.	M/s. Kockner Windsor India Ltd. . . . . Plot No. 6 & 7, G. I. D. C., Chhatral-382729, Distt. Mehsana.	GJ 16892	1-1-93 to 31-12-96	2/5218/93—DLI
12.	M/s. Artieya Cargo Movers Pvt. Ltd. . . . . 2nd Floor, Shakti Estate, Narol-Isanpur Road, Ahmedabad-382443.	GJ/17273	1-11-92 to 31-10-95	2/5219/93—DLI
13.	M/s. United Submersible Pump (P) Ltd. . . . 9, G. I. D.C. Estate, Dholka.	GJ 18746	1-11-92 to 30-11-95	2/5220/93—DLI
14.	M/s. The Mehsana Urban Co-op. Bank Ltd. . . Highway Mehsana, Mehsana-384002 (N.G.).	GJ/19506	1-8-92 to 31-7-95	2/5221/93—DLI
15.	M/s. Gujarat Venture Finance Ltd. . . . . 1st Floor, Premchand House Annexe, Behind Popular House, Ashram Road, Ahmedabad-9.	GJ/23206	1-1-93 to 31-12-95	2/5222/93—DLI
16.	M/s. Hynoup Food & Oil Industries Ltd. . . Maruti House, Opposite Air India, Ashram Road, Ahmedabad-380009.	GJ/14134	1-1-92 to 31-12-94	2/5277/93—DLI

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub Section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of Premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/213.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

NOW, THEREFORE, In exercise of the power conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and sub-I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Goa from the operation of the said scheme for and upto a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s file No.
1.	M/s. P. K. Naik and Co. "Neera" A. D. Costa Road, Margoa—Goa.	Goa/10127-E	1-1-88 to 31-12-90 1-1-90 to 31-12-92	2/3440/91—DLI
2.	M/s. Goa Pharma Dias Building, Ormuz Road, Panaji—Goa.	Goa/10142	1-11-90 to 31-10-93	2/4365/92—DLI
3.	M/s. Goa Electricals and Fans Ltd. Plot No. 1, GDDIDC Industrial Estate, Betora, Ponda, Goa-403409.	Goa/10296	1-10-91 to 30-9-94	2/5180/93—DLI
4.	M/s. Chowgule Industries Ltd. Pot Box No. 306, Margoa-403601.	Goa/9821	1-5-90 to 30-4-93	2/5228/93—DLI
5.	M/s. Goa Steel Rolling Mills Ltd. Radhakrishna Industrial Estate Bicholim—Goa.	Goa/9872	1-2-91 to 31-1-94	2/5229/93—DLI
6.	M/s. Damodar Mangalji Mining Co. Damodar Niwas, M. G. Road, Panaji—Goa-403001.	Goa/9936	1-9-92 to 31-8-95	2/5230/93—DLI
7	M/s. Goa Bagayatdar Sahakari Kharedi Vieri Society Ltd., Ponda—Goa, including branches.	Goa/9999	1-2-90 to 31-1-93	2/5231/93—DLI
8.	M/s. Zuari Plastics Sancoale Industrial Estate Shed No. 1, Sancoale—Goa.	Goa/10025	1-10-91 to 30-9-94	2/5232/93—DLI
9	M/s. Goa Laminators, Plot No. 4, 5 & 6 Sancoale Industrial Estate, Zuarinagar Goa.	Goa/10258	1-9-91 to 31-8-94	2/5233/93—DLI
10.	M/s. Plastex Containers Goa (P) Ltd. 2nd Floor, Joshi Building, Vasco-da-Gama, Goa—403802.	Goa/10303	1-1-92 to 31-12-94	2/5234/93—DLI
11.	M/s. Hindustan Foods Ltd. Panaji—Goa.	Goa/10344	1-3-92 to 28-2-95	2/5235/93—DLI

SCHEDULE-II

1 The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts submission of returns payment of insurance premia transfer of accounts payment of inspection charges etc shall be borne by the employer

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees

5 Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reason[illegible] opportunity to the employees to explain their point of view

9 Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where for any reason the employer fails to pay the premium etc within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled

11 In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer

12 Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects

B N SOM
Central Provident Fund Commissioner

No 2/1959/DLI/Exemp 89/Pt I/221 WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub Section 2(A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act)

AND WHEREAS I B N SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said scheme)

NOW THEREFORE In exercise of the power conferred by sub section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto I B N Som hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R P F C Baroda from the operation of the said scheme for a period of 3 years

SCHEDULE-I

Sl No	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C P F C 's File No
1	M/s Shreno Ltd 3/23-24 Industrial Estate Baroda 390003	GJ/4382	1-11-89 to 31 10-92	2 5311/93- DLI
2	M/s Ezy Slide Fastners Ltd 2002 G I D C Halol Dist Panch Mahals Gujarat-381350	GJ/20055	1 10 91 to 30-9 94	2/5320/93—DLI
3	M/s Hatasi Tape Cast Ltd 2103-B, G I D C Halol Distt- Panch Mahal Gujarat	GJ/20055 A	1-11-91 to 31 10 94	2/5321/93—DLI
4	M/s Vibgyor Zippers Ltd 2103-A, G I D C. Halol Distt Panch Mahals Gujarat-389350	GJ/20055 B	1-11-91 31-10 94	2/5322/93—DLI
5	M/s D[illegible]ak Ltd , Al[illegible] Road Baroda-390003	GJ 931 B	1 11-89 31-10-92	2/5323/93—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporaion of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959 DLI/Exemp/89/Pt.I/245.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

NOW, THEREFORE, In exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Faridabad from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s Deepak Auto Pvt. Ltd. 145, Udyog Vihar Gurgaon (Haryana)	HR/4014	1-3-91 to 28-2-84	2/4480/92-DLI
2.	M/s Deepak Auto Pvt. Ltd. 61, Maruti Industrial Complex, Gurgaon (Haryana)	HR/4015	1-3-91 to 28-2-94	2/4481/92-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Nothwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of Premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/253.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

NOW, THEREFORE, In exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the RPFC Amritsar from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the estts.	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. Neta Volves Pvt. Ltd. Jalandhar Punjab	PN/15303	1-1-89 to 31-12-91	2/5249/93 DLI
2.	M/s. J.M.P. Enterprises Pvt, Ltd, 982, Preet Nagar, Jalandhar Punjab.	PN 15575	1-1-92 to 31-12-94	2 5188 93 DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under Clause (a) Sub-section 3(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, his approval, gives a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

(DEPARTMENT OF BUSINESS DEVELOPMENT & MARKETING)

Bombay, the 5th January 1994

UT/DBDM/R91A/SPD71E/93-94.—The Provisions of the Monthly Income Unit Plan 1994 formulated under Section 19(1) (8) (c) of the Unit Trust Of India Act, 1963 and the Monthly Income Unit Scheme 1994 made under section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the Meeting held on 11th November 1993 are published herebelow.

MONTHLY INCOME UNIT SCHEME 1994 MIUS '94

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), the Board of the Unit Trust of India hereby makes the following Unit Scheme.

I. Short Title and Commencement :

(1) This Scheme shall be called the Monthly Income Unit Scheme 1994 (MIUS '94)

(2) It shall come into force on the 3rd day of January, 1994.

The Scheme shall be for a period of four years from 1st March 1994 to 28th February 1998.

(3) Units will be on sale only for a period of 44 days from 3rd January, 1994 to 15th February, 1994. Provided, however, that the Chairman or Executive Trustee may suspend or extend the sale of units under the scheme at any time by giving 7 days prior notice in leading newspapers or in such other manner as may be decided.

II. Definitions :

In this Scheme, unless the context otherwise requires

(a) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963;

(b) "acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(c) "Applicant" means an applicant under the scheme and shall include the alternate applicant mentioned in the application form when units are sold for the benefit of a mentally handicapped person

(d) "Application" means the application referred to in Clause IV of this scheme.

(e) "eligible institution" means an eligible trust as defined under the Unit Trust of India General Regulations 1964 and includes Private Trusts created by an instrument in writing and being irrevocable or a Charitable or Religious Trust or endowment or registered society which is administered, controlled or supervised by or under the provisions of a Central or State enactment which is for the time being in force, or a registered co-operative society.

(f) "Mentally handicapped persons" means :
any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevent him from carrying out normal activities of life and is so certified by any Registered Medical Practitioner.

(g) "number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(h) "person" shall include an eligible institution as defined above.

(i) "recognised stock exchange" means a stock exchange, which is, for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(j) "regulations" means Unit Trust of India General Regulations 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(k) "Society" means a society established under any State or Central law for the time being in force.

(l) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(m) "member" used as an expression under the scheme shall mean and include the applicant who has been allotted units under the scheme and the plan made thereunder

(n) "alternate applicant" in case of minor means parent other than the parent who has made the application on behalf of minor.

(o) all other expressions not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them by the Act.

III. Face value of each unit :

The face value of each unit shall be ten rupees.

IV. Application for units .

(1) Applications for units may be made by residents only viz.

(a) individuals either singly or with another individual on joint/either or survivor basis.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(c) an eligible insiltution as defined under the Scheme including Private Trusts being irrevocable and created by an instrument in writing.

(d) an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person.

(e) a society as defined under the scheme.

(f) a registered co-operative society.

(g) other-bodies corporate including bank & non-profit making companies formed u/s. 25 of the Companies Act, 1956 but excluding other companies registered under Companies Act, 1956

(h) Hindu Undivided Family

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

(3) Application shall be made for a minimum of 500 units and thereafter in multiples of 50 units. There will be no maximum limit.

(4) (i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at UTI offices cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office at which the application is tendered is situated

Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its office may do so by sending the application to the office of the Trust along with the bank draft for number of units applied for deducting therefrom charges payable for bank draft.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the Trust or authorised collection centre. If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the Trust or authorised collection centre within such time as may be deemed reasonable by the Trust. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit

(iii) A membership advice will be sent by post to the address given by the applicant. The Trust will not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the membership advice, so sent.

(iv) A membership advice issued by the Trust to the eligible institution or body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/body corporate

(5) Right of Trust to accept or reject application : The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the scheme shall be final.

Incomplete application Liable for Rejection—In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without any interest whatsoever after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(6) Applicant bound to comply with requirements under the scheme before being issued units : Persons applying for units under the scheme shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members. The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

V. *Sale of Units* :

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall, as soon thereafter as possible, issue to the applicant membership advice evidencing that he has been admitted as a member in the scheme and the plan made thereunder.

VI. *Repurchase of units* :

(1) There shall be a one year lock-in-period. There shall be no repurchase during the first year (i.e. upto 28-02-1995).

(2) The Trust shall during the Second year repurchase units at par after deducting the administrative cost not exceeding 5% of the face value plus dividend upto the previous month. From the third year onwards (i.e. from 01-03-1996) repurchase of units shall be at par after deducting administra-

tive cost upto 2% of the face value, plus dividend upto the previous month. Repurchase shall be effected on receipt of the membership advice with the form of repurchase duly filled in. All the units indicated in the advice should be tendered for repurchase. No partial repurchase of units shall be permitted.

The member while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unpaid Income Distribution Warrants remaining outstanding upto and inclusive of the month of repurchase to the Trust.

The Trust shall not on accepting the membership advice along with the form for repurchase be bound to pay any Income Distribution on the units for the future months nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds. All the documents and the unpaid Income Distribution Warrants if any, received shall be retained by the Trust for cancellation.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses the Trust shall be at liberty while repurchasing the units in the event of failure of the member to surrender the Income Distribution Warrants which are then outstanding to deduct from the repurchase price such amount representing the amount of the Income Distribution Warrant payable in future as have not been surrendered and pay the balance to the member. On the acceptance of the membership advice and the form for repurchase by the Trust, the members' right to receive future Income Distribution including the Income Distribution for the month of acceptance will cease and the Trust shall have a claim on the amount/s represented by such outstanding Income Distribution.

(4) A member to be entitled to a full year's Income Distribution paid out on a monthly basis should have held the units for a full year. A member who holds units for a part of the year shall be entitled to receive proportionate Income Distribution for the period of holding which shall always be full English Calendar months of holding, part of a month of whatever length being always ignored.

(5) In the event of the death of the member and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the membership advice, the form of repurchase and the unpaid Income Distribution Warrants outstanding to the deceased member, the Trust shall on compliance with the formalities in connection with the recognition of claim, repurchase the units as elaborated in sub clause (2) and (3) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding proportionate monthly income distribution upto the date of the settlement of the claim and such payment shall be made for periods of whole months.

(6) Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

VII. *Restrictions on repurchase of units* :

Notwithstanding anything contained in any provision of the scheme, the Trust shall not be under an obligation to repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period when the register of members is closed in connection with (as notified by the Trust) the annual closing of the books and accounts.

Explanation :

For the purpose of this Scheme the term "working day" shall mean a day which has not been either (i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or (ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the the office of the Trust will be closed.

VIII. *Sale price* :

(1) The sale price of units during the period of offer shall be at par.

(2) In the event of termination of the Scheme in the manner as specified in clause XXVI hereof the Trust shall determine the repurchase price by valuing the assets pertaining to the scheme as at the close of business on the date notified for termination reduced by the liabilities pertaining to the scheme and dividing them by the number of units outstanding and deducting therefrom such sum as in the opinion of the Trust is adequate to cover brokerage commission, taxes, if any, stamp duties and other charges in relation to realisation of investments by the Trust and other adjustments and the expenditure in connection with the closure and payment of the distribution to the members of the assets in respect of the scheme.

In such an event the repurchase price shall in addition to the part value bear the other distributable component of the asset per unit arrived at by the Trust in a manner satisfactory to its auditors and as the Board may approve.

Provided that notwithstanding anything to the contrary contained in these provisions, the repurchase price may also be arrived at by dividing the value of the assets allocated to the Scheme with reference to the period of allocation in such manner as the Board may determine reduced by the liabilities pertaining to the Scheme with reference to the similar period by the number of units at the close of business on the said day. In so determining the repurchase price regard shall be had to the interest of the Trust and the members.

IX. *Publication of final repurchase price* :

Upon termination of the scheme in the manner provided in clause XXVI hereof, the Trust shall as early as possible after determining the final repurchase price publish it in such manner as it may deem fit.

X. *Valuation of assets pertaining to this Scheme* :

(1) For the purposes of valuation of the assets under the scheme, the assets shall be classified into : (A) cash (B) investments and (C) other assets.

(2) Investments shall be valued by taking :

A. (a) the closing prices on the stock exchange as on the working day on which the valuation is made of the securities held by the Trust pertaining to this schemes provided where security is quoted on more than one stock exchange, the manner of determining the price of such security shall be decided by the Trust.

(b) where any investment was not, during the relevant period, dealt in, or quoted on any recognised stock Exchange, such value as the Trust may in the circumstances consider to be the fair value of such investments; and

B. Adding thereto—

(a) in the case of interest earning deposits, interest accrued but not received.

(b) in the case of Government Securities and debentures, interest accrued but not received, and

(c) in the case of preference shares and equity shares quoted ex-dividend and dividend declared but not received.

(3) Other assets shall be valued at their book value.

XI. *Membership advice* :

No Unit/Membership certificate shall be issued to a member in respect to his membership of units issued under the scheme and the Plan made thereunder. They will however be given a membership advice evidencing admission as a member in the scheme and the Plan made thereunder.

XII. *Manner of preparation of membership advice* :

The membership advice shall be in the Form A annexed hereto.

XIII. *Trusts not to be admitted and recognized for the purpose of the scheme and the Plan made thereunder* :

(1) The person who is registered as the holder and in whose name a membership advice has been issued shall be

the only person to be recognized by the Trust as the member and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognize such member as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution or any Trust or, save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme and the Plan made thereunder.

(2) When an application is made by an individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped and accepted by the Trust, the Trust shall not be deemed to be taking notice of any trust. The Trust shall deal, for all purposes, under the Scheme and the Plan made thereunder with the applicant or the person mentioned as alternate applicant in the application form in the event of the applicant's death.

XIV. *Exchange of membership advice and procedure when advice is mutilated, defaced, lost etc.* :

For the purpose aforesaid the member under the scheme and the Plan thereunder shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XV. *Register of members* :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members—

(1) A register of the members shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register :

(a) the names and addresses of the members;

(b) the number of the membership advice and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which such person became the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any member shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly. Any change pursuant to the death of an applicant who has applied for units for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person shall be entered in the register accordingly.

(3) Except when the registers are closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any member without charge.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 30 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XVI. *Application by and registration of eligible institutions, minors, an applicant for the benefit of a mentally handicapped person* :

(1) Eligible institutions, body corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as members.

(2) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minors. The Trust shall be entitled to act on the statements made of such adult in the application form without any further proof.

(3) Where an application is made by an individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements and the certificates furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be good discharge to the Trust.

(4) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants competence to invest in units, such as Memorandum and articles of association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body and a copy of the requisite power of attorney.

XVII. *Receipt by member to discharge Trust* :

The receipt of the member for any monies paid to him in respect of the units represented by the Scheme and the Plan thereunder shall be a good discharge to the Trust.

XVIII. *Nomination by members* :

(1) Members holding units singly or two members holding jointly may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the regulations.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, bodies corporate, and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person shall have no right to make any nomination.

XIX. *Tranfer of Units* :

Units issued under the Scheme are not Transferable/pledgeable/Assignable.

XX. *Death or bankruptcy of a member* :

(1) In case of death of either of the joint members of units, the survivor shall be the only person recognised the Trust as having title to or interest in the units represented by the Scheme and the Plan thereunder. Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single member, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units under the Regulations.

(3) In the absence of a valid nomination by a single member, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death or bankruptcy of member(s) may, upon producing such evidence to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event the sole nominee mentioned in the membership advice is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee, the nominee may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a membership advice in his name indicating units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.

(6) In the event of the death of the applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person, the Trust shall deal with the alternate applicant as if he were the applicant. Further, in the event of the death of the applicant or the alternate applicant, as the case may be, the existing applicant shall appoint another individual as his alternate applicant.

XXI. *Investment Limits* :

(1) Investments by the Trust from the funds of the Scheme in the securities of any company shall not exceed 15% of the securities issued and outstanding of such companies. Provided that the aggregate of such investments in the capital initially issued by new industrial undertakings shall not at any time exceed 5% of the total amount of the said funds.

(2) The limits prescribed under sub-clause (1) shall not apply to investments of the Trust in bonds and debentures and deposits of a company whether secured or not.

XXII. *Income Distribution* :

(1) For the first two years i.e. from 01-03-1994 to 29-02-1996, the income distribution under the scheme shall be at the rate of 13% per annum. The income distribution amount shall be made payable on a monthly basis. At the end of 1 1/2 years i.e. in July-August 1995 the dividend rate for the next two years shall be determined and announced. This rate will be applicable for the remaining two years.

The rate of income distribution shall be based upon the income of the scheme and other relevant factors.

(2) The Income Distribution for each month shall be made payable at the beginning of the following month and will be paid by the Trust under such pre-payment arrangements by means of Income Distribution Warrants or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify.

Such of those units which have been sold under an application accepted by the Trust on or before the 15th day of a month shall be eligible for income distribution for the whole month and the units sold after the 15th day of the month shall be eligible for income distribution for that half month. The entitlement of dividend will depend upon the date of joining as follows :

03-01-1994 to 15-01-1994—Full month's dividend

16-01-1994 to 31-01-1994—Half month's dividend

01-02-1994 to 15-02-1994—Full month's dividend

(3) Provided that the Income Distribution for the period ending on August 31st, 1994 will be sent by one Income Distribution Warrant and shall be forwarded to the member alongwith the 18 post dated Income Distribution Warrants for the months upto February 29th, 1996.

For the remaining two years, 24 post dated Income Distribution Warrants shall be sent as soon as possible after the determination of the revised dividend rate.

The Trust however reserves the right to forward post dated Income Distribution Warrants for such of the members as may be applicable in such manner and for such periods as the Trust may determine.

(4) Subject to the provisions of sub-clause (3), the warrants for payment of income distribution on a monthly basis will be sent to the member in two lots and the warrants will be so dated that the member shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrant shall have validity for three months. The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

(5) In the event of a repurchase which shall always be in full, the member upon non-surrender of unpaid warrants shall be entitled to encash these warrants which are due for the subsequent months and remaining in the custody of the members on the dates of maturity and the amount represented by such Income Distribution Warrants shall be deducted from the repurchase proceeds.

(6) In the event of the death of the member if the sole nominee is eligible to hold units and desires to continue to hold the units, then the sole nominee shall be bound to return all the unencashed warrants for the future months for necessary rectification. However, such a nominee desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased member to those in favour of the newly admitted members.

(7) In the event of the death of an applicant where the application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the alternate applicant shall be bound to return all the unencashed Income Distribution Warrants for future months for necessary rectification. However, such alternate applicant shall not be entitled to any interest or/any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased applicant to those in favour of the newly admitted applicant.

(8) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clause, the Trust reserves its right to make the Income Distribution on a quarterly, half yearly or annual basis as the case may be, should the reasons of expediency cost, interest of members and other circumstances make it necessary for the Trust to do so. In such an event the Trust shall notify the members by a publication in two leading English Language daily newspapers. No member shall have a right to claim Income Distribution on monthly basis after the Trust makes a notification as above.

Bonus Dividend : No Bonus Dividend shall be paid under the Scheme.

Capital Appreciation on Maturity

Whatever Capital Appreciation is accumulated under the scheme after deduction of expenses etc. will be distributed to the members who continue till maturity.

XXIII. *Development Reserve Fund (DRF) contribution* :

0.25% of the funds collected under the Scheme shall be set aside as contribution towards DRF.

XXIV. *Publication of Accounts* :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme during the period ending as of that date. The Trust shall, on a request in writing received from a member, furnish him a copy of the accounts so published.

XXV. *Additions and Amendments to the Scheme* :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the official Gazette.

XXVI. *Termination of the Scheme* :

The Scheme shall stand finally terminated on 28th February, 1998. All members who have participated in the Scheme for its entire period shall be paid the value of the units at the final repurchase price fixed for the purpose. The Trust shall endeavour to pay the repurchase price proceeds to the members within 3 weeks from the receipt of membership advice along with the form of repurchase at the Office of issue/the Registrar. Besides receiving the final repurchase price determined no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue. The membership advice and other forms received for repurchase shall be retained for cancellation.

XXVII. *Scheme to be binding on members* :

The terms of the scheme including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contained in the provisions of the scheme.

XXVIII. *Benefits to the members* :

All benefits accruing under the scheme in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme shall be available only to the members who hold the units for the full term of the scheme till its closure.

XXIX. *Copy of Scheme to be made available*

A copy of this scheme incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Trust at all times during its business hours and may be supplied by the Trust to any person on application and payment of Rupees five.

XXX. *Power to construe provisions*

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions, only Chairman and if UTI has not Chairman, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the scheme and such decision shall be conclusive, binding and final.

XXXI. *Relaxation/variation/modification of provisions*

Only Chairman and if UTI has no Chairman the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the scheme, relax, vary or modify any of the provisions of the scheme in case of any member or class of members upon such terms as may be deemed expedient.

FORM OF APPLICATION FOR REPURCHASE OF UNITS UNDER MIP-94

Date ————————

To,

Unit Trust of India,

————————

I/We———————— am/are the registered member(s)/survivor/nominee/heir(s)/legal representative(s) of the deceased member(s) of all units of the Unit Trust of India under Monthly Income Unit Plan 1994 (MIP 94) contained in Membership Advice No. ———— for ——— units and am/are desirous of selling to the Trust all the said units indicated in the membership advice at the repurchase price prevailing/determined by the Trust on the date of acceptance in respect of this application. The relative Membership Advice is enclosed.

The repurchase price of the units may be sent to me/us by* cheque/bank draft at the address given below.

Signature of witness

Signature(s)/Thumb Impression(s) of member(s)

Name ————————

Occupation :

1. ————————
2. ————————

Address :

————————

————————

Address of the member/Address of the Banker (should be given if the style has varied and is verified by Banker, in which case the cheque/DD will be sent direct to the Bank).

————————

————————

Account No. ————————

For office use only
Date of acceptance

*Delete words not applicable.

**If the member is affixing thumb impression, it should be attested by a Magistrate/Notary/Gazetted Officer of State/Central Govt. or Officer of RBI/IDBI.

FORM A

UNIT TRUST OF INDIA

MONTHLY INCOME UNIT PLAN—1994

(CLAUSE XII)

MEMBERSHIP ADVICE

Issued in accordance with the provisions of the Monthly Income Unit Plan 1994 (MIP-94) formulated under the Monthly Income Unit Schem 1994 (MIUS-94).

NOT TRANSFERABLE

Membership No.

No. of Unit (Face value of Rs. 10/- per unit).

Name of the Member

Address :

Name of the second named member

FOR UNIT TRUST OF INDIA
Zonal Head

Place :

Date :

PROVISIONS OF

MONTHLY INCOME UNIT PLAN 1994

MIP 94

In exercise of the powers conferred by Section 19(1)(8)(C) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), the Board of the Unit Trust of India hereby makes the following Unit Plan :

(I) This Plan shall be called the Monthly Income Unit Plan 1994 (MIP 1994) under the Monthly Income Unit Scheme 1994 (MIUS 1994) and shall come into force on the 3rd day of January 1994.

(II) *Period of Offer* :

Units issued under the Scheme and the Plan made thereunder will be on sale only for a period of 44 days from 3rd January 1994 to 15th February 1994.

Provided, however, that the Chairman or Executive Trustee may suspend or extend the sale of units under the scheme at any time by giving a 7 days' prior notice in leading newspapers or in such other manner as may be decided.

III. *Face value of each unit* :

The face value of each unit shall be ten rupees.

IV. *Application for units* :

(1) Applications for units may be made by residents only viz.

(a) individuals either singly or with another individual on joint/either or survivor basis.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(c) an eligible institution as defined under the Scheme including Private Trusts being irrevocable and created by an instrument in writing.

(d) an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person.

(e) a society as defined under the scheme.

(f) a registerd co-operative society.

(g) other bodies corporate including bank & non profit making companies formed u/s. 25 of the Companies Act, 1956 but excluding other companies registered under Companies Act, 1956

(h) Hindu Undivided Family.

(2) Application shall be in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

(3) Application shall be made for a minimum of 500 units and thereafter in multiples of 50 units. There will be no maximum limit.

(4) *Mode of Payment* :

(i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at UTI offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office at which the application is tendered is situated.

Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its office may do so by sending the application to the office of the Trust alongwith the bank draft for number of units applied for deducting therefrom charges payable for bank draft.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the Trust or authorised collection centre. If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the Trust or authorised collection centre within such time as may be deemed reasonable by the Trust. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the scheme and Plan made thereunder, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

V. Sale of Units :

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall, as soon thereafter as possible, issue to the applicant membership advice evidencing that he has been admitted as a member in the Scheme and the Plan made thereunder.

VI. Repurchase of units :

(1) There shall be a one year lock-in-period. There shall be no repurchase during the first year (i.e. upto 28-02-1995)

(2) The Trust shall during the Second year repurchase units at par after deducting the administrative cost not exceeding 5% of the face value, plus dividend upto the previous month and from the third year onwards (i.e. from 01-03-96) repurchase of units shall be at par after deducting the administrative cost upto 2% of the face value plus dividend upto the previous month. Repurchase shall be effected on receipt of the membership advice with the form of repurchase duly filled in. All the units indicated in the advice should be tendered for repurchase. No partial repurchase of units shall be permitted. The member while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unpaid Income Distribution Warrants remaining outstanding upto and inclusive of the month of repurchase to the Trust.

The Trust shall not on accepting the membership advice alongwith the form for repurchase be bound to pay any Income Distribution on the units for the future months nor shall any interst be payable on the repurchase proceeds. All the documents and the unpaid Income Distribution Warrants if any, received shall be retained by the Trust for cancellation

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses the Trust shall be at liberty while repurchasing the units, in the event of failure of the member to surrender the Income Distribution Warrants which are then outstanding to deduct from the repurchase price such amount representing the amount of the Income Distribution Warrant payable in future as have not been surrendered and pay the balance to the member. On the acceptance of the membership advice and the form for repurchase by the Trust, the members' right to receive future Income Distribution including the Income Distribution for the month of acceptance will cease and the Trust shall have a claim on the amount/s represented by such outstanding Income Distribution.

(4) A member to be entitled to a full year's Income Distribution paid out on a monthly basis should have hold the units for a full year. A member who holds units for a part of the year shall be entitled to receive proportionate Income Distribution for the period of holding which shall always be full English Calendar months of holding, part of a month of whatever length being always ignored.

(5) In the event of the death of the member and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the membership advice, the form of repurchase and the unpaid Income Distribution Warrants outstanding to the deceased member, the Trust shall on compliance with the formalities in connection with the recognition of claim, repurchase the units as elaborated in sub clause (2) and (3) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding proportionate monthly income distribution upto the date of the settlement of the claim and such payment shall be made for periods of whole months.

(6) Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

VII. Nomination by members :

(1) Members holding units singly or two Members holding jointly may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the regulations.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, bodies corporate, and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally hindicapped person shall have no right to make any nomination.

VIII. Transfer of Units :

Units issued under the Scheme and the Plan made thereunder shall not be Transferable/Pledgeable/Assignable.

IX. Death or bankruptcy of a member :

(1) In case of death of either or the joint members, the survivor shall be the only person recognised the Trust as having title to or interest in the units represented by the Scheme and Plan made thereudner. Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single member, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units under the Regulations.

(3) In the absence of a valid nomination by a single member, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death or bankruptcy of a member may, upon producing such evidence to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event the sole nominee as indicated in the membership advice is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee, the nominee may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a membership advice in his name indicating units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.

(6) In the event of the death of the applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person, the Trust shall deal with the alternate applicant as if we were the applicant. Further, in the event of the death of the applicant or the alternate applicant, as the case may be, the existing applicant shall appoint another individual as his alternate applicant.

X. Income Distribution :

(1) For the first two years i.e. from 01-03-1994 to 29-02-1996, the income distribution under the scheme and the Plan made thereunder shall be at the rate of 13% per annum. The income distribution amount shall be made payable on a monthly basis. At the end of 1½ years i.e. in July-August 1995 the dividend rate for the next two years shall be determined and announced. This rate will be applicable for the remaining two years. The rate of income distribution shall be based upon the income of the Plan and other relevant factors.

(2) The Income Distribution for each month shall be made payable at the beginning of the following month and will be paid by the Trust under such pre-payment arrangements by means of Income Distribution Warrants or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify.

Such of those units which have been sold under an application accepted by the Trust on or before the 15th day of a month shall be eligible for income distribution for the whole month and the units sold after the 15th day of the month shall be eligible for income distribution for that half month. The entitlement of dividend will depend upon the date of joining as follows :

03-01-1994 to 15-01-1994—Full month's dividend

16-01-1994 to 31-01-1994—Half month's dividend

01-02-1994 to 15-02-1994—Full month's dividend

(3) Provided that the Income Distribution for the period ending on August 31st, 1994 will be sent by one income distribution Warrant and shall be forwarded to the member alongwith the 18 post dated Income Distribution Warrants for the months upto February 29, 1996.

For the remaining two years, 24 post dated income distribution warrants shall be sent as soon as possible after the determination of the revised dividend rate.

The Trust however reserves the right to forward post dated Income Distribution Warrants for such of the members as may be applicable in such manner and for such periods as the Trust may determine.

(4) Subject to the provisions of sub clause (3), the warrants for payment of income distribution on a monthly basis will be sent to the member in two lots and the warrants will be so dated that the member shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrant shall have validity for three months. The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

(5) In the event of a repurchase which shall always be in full, the member upon non-surrender of unpaid warrants shall be entitled to encash these warrants which are due for the subsequent months and remaining in the custody of the members on the dates of maturity and the amount represented by such Income Distribution Warrants shall be deducted from the repurchase proceeds.

(6) In the event of the death of the member if the sole nominee is eligible to hold units and desires to continue to hold the units, then the sole nominee shall be bound to return all the unencashed warrants for the future months for necessary rectification. However, such a nominee desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased member to those in favour of the newly admitted members.

(7) In the event of the death of an applicant where the application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the alternate applicant shall be bound to return all the unencashed Income Distribution Warrants for future months for necessary rectification. However, such alternate applicant shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased applicant to those in favour of the newly admitted applicant.

(8) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clause, the Trust reserves its right to make the Income Distribution on a quarterly, half yearly or annual basis as the case may be, should the reasons of expediency cost, interest of members and other circumstances make it necessary for the Trust to do so. In such an event the Trust shall notify the members by a publication in two leading English language daily newspapers. No member shall have a right to claim Income Distribution on monthly basis after the Trust makes a notification as above.

Bonus Dividend—No Bonus Dividend shall be paid under the Plan.

XI. Capital Appreciation on Maturity

Whatever Capital Appreciation is accumulated under the Plan after deduction of expenses etc. will be distributed to the members who continue till maturity.

XII. Additions and Amendments to the Plan

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Plan and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette.

XIII. Termination of the Plan

The Plan shall stand finally terminated on 28th February, 1998. All members who have participated in the Plan for its entire period shall be paid the value of the units at the final repurchase price fixed for the purpose. The Trust shall endeavour to pay the repurchase price proceeds to the mem-

bers within 3 weeks from the receipt of membership advice, repurchase form and other documents as may be required at the Office of issue/the Registrar. Besides receiving the final repurchase price determined no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue. The membership advice received for repurchase shall be retained for cancellation.

XIV. Plan to be binding on members :

The terms of the Plan including any amendments, changes thereto from time to time should be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding not withstanding anything contained in the provisions of the Plan.

XV. The Provisions of the Plan to be Subject to the Provisions of the Scheme

The Provisions of the Plan in respect of any units acquired under this Plan for acquisition of interest in units and other matters connected thereto and not specified herein shall be read subject to the Provisions of the "Monthly Income Unit Scheme—1994 (MIUS—94)".

XVI. Benefits to the members :

All benefits accruing under the Plan in respect of capital and reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the Plan shall be available only to the members who hold the units for the full term of the Plan till its closure.

XVII. Copy of the Plan to be made available :

A copy of this Plan incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Trust at all times during its business hours and may be supplied by the Trust to any person on application and payment of Rupees five.

XVIII. Power to construe Provisions :

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions, only Chairman and if UTI has no Chairman the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Plan, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the scheme and the Plan made thereunder as such decision shall be conclusive, binding and final.

XIX. Relaxation/variation/modification of provisions :

Only Chairman and if UTI, has no Chairman the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Plan, relax, vary or modify any of the provisions of the Plan in case of any member or class of members upon such terms as may be deemed expedient.

UT/DBDM/91A/SPD71E/93-94.—The Amendments to the provisions of the Monthly Income Unit Plan 1994 formulated under Section 19(1)(8)(c) of the Unit Trust Of India Act, 1963 and the Monthly Income Unit Scheme 1994 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) appropved by the Executive Committee in the Meeting held on 6th December, 1993 are published herebelow.

ANNEXURE

The Amendments to the provisions of Monthly Income Unit Plan/Scheme 1994 are as follows :

1. Clause IV (3) on Application for Units' in the provisions of the Plan and the Scheme is amended as follows :

"Application in respect of Monthly Income option shall be made for a minimum of 500 units and thereafter in multiples of 50 units. Likewise under the Cumulative option, application shall be made for a minimum of 200 units and in multiples of 50 thereafter. There will be no maximum limit under either of the options."

2. In Clause VI on 'Repurchase of Units' the following is added as sub clause 7 in the provisions of the Scheme and the Plan :

Cumulative Option :

The Trust shall in case of Cumulative option repurchase the units at par during the second year after deducting the administrative cost not exceeding 5% of the face value, plus compensation equivalent to the dividend paid under the Monthly Income option in the event of such repurchase as specified in the relevant clause hereinabove. On completion of two years (i.e. for members with the Trust till 29-02-1996) units will be repurchased at Rs. 12.95 per unit. From the third year onwards (i.e. from 01-03-1996) repurchase of units shall be at par after deducting administrative cost upto 2% of the face value, plus compensation equivalent to the dividend paid under the Monthly Income option in the event of such repurchase as specified in the relevant clause hereinabove. Partial repurchase will be permitted.

3. In Clause IX (6) in the provisions of the Plan Clause XX (6) in the provisions of the Scheme on "Death or bankruptcy of a member" the following paragraph is added :

"In the event of death of a single member participating under the cumulative option during the lock-in period the Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir/nominee the repurchase value as detailed in the relevant Clause (s) or arrived at by any other method as may be decided by the Trust."

4. The following is added as the first paragraph in Clause X on 'Income Distribution' of the provisions of the Plan and Clause XXII of the provisions of the Scheme :

The member shall have the right to exercise an option to participate in the Monthly Income option or the Cumulative option. This shall be done at the time of investment in the scheme and the option once exercise will be final.

The following is added to sub clause (2) : In case an applicant opts for the Cumulative option, one consolidated warrant will be paid for the period upto February 28th 1994.

The following is added as such clause (9) : Cumulative Option—For a member exercising his right to participate under this option his investment will be compounded monthly @13% p.a. for the first two years. The rate of dividend for the remaining 2 years will be 0.5% more than the rate declared for Monthly Income option at the end of 1 1/2 years and would be compounded monthly at that rate.

SUDHA PILLAY
Staff Officer 'A'

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रण, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1994
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1994